(आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिनांक 29.09.2025 को अपलोड करने हेतु)

| | |
|---|---|
| भारत सरकार,<br>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,<br>कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>ब्लॉक स॰ 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,<br>लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 | Government of India,<br>Min.of Personnel, Public Grievances & Pensions,<br>Dept. of Training and Personnel,<br>Staff Selection Commission<br>Block No. 12, CGO Complex,<br>Lodhi Road, New Delhi - 110003 |

# विज्ञप्ति

## दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) परीक्षा, 2025

| | |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथियां | 29.09.2025 से 20.10.2025 |
| ऑनलाईन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय | 20.10.2025 (23:00 बजे) |
| ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय | 21.10.2025 (23:00 बजे) |
| 'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और संशोधन हेतु सुधार शुल्क के ऑनलाईन भुगतान की तिथियां | 27.10.2025 से 29.10.2025 (23:00 बजे) |
| कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम | दिसंबर, 2025/ जनवरी, 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में कोई कठिनाई होने के मामले में काल किए जाने हेतु टोल फ्री नंबर | 180 030 930 63 |

**"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"**

**फा.सं. HQ-C-3016/1/2025-C-3:** दिल्ली पुलिस की भर्ती योजना/स्थायी आदेश तथा दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के

सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार इस भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1.1 इस परीक्षा की विज्ञप्ति दिल्ली पुलिस द्वारा पुनरीक्षण के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट अर्थात **https://ssc.gov.in** पर अधिसूचित की जाएगी। इस संबंध में एक नोटिस/लिंक दिल्ली पुलिस की वेबसाईट अर्थात www.delhipolice.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

1.2 दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) की भर्ती के लिए ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रिक्तियों की सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को दी जाएगी।

1.3 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

1.4 कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदनों की संख्या के आधार पर 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा' (सीबीई) माध्यम में अखिल भारतीय आधार पर परीक्षा आयोजित करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट (अर्थात्, https://ssc.gov.in) पर अपलोड किए जाएंगे और प्रवेश पत्र / प्रवेश प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी से संबंधित एक 'नोटिस' दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

1.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम तथा अंतिम परिणाम आयोग द्वारा अपने वेबसाईट पर घोषित किया जाएगा।

1.7 प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुणा के बराबर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट की सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईऐंडएमटी) में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

1.8 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईऐंडएमटी) दिल्ली पुलिस द्वारा केवल दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पीईऐंडएमटी में शामिल होने के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रमाण पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी वेबसाइट (अर्थात www.delhipolice.nic.in) पर अपलोड किए जाएँगे। अभ्यर्थियों को पीईऐंडएमटी /दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के संचालन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

1.9 पीईएंडएमटी तथा कौशल/ट्रेड टेस्ट के आयोजन के बाद, दिल्ली पुलिस पीईएंडएमटी तथा कौशल/ट्रेड टेस्ट के परिणाम एसएससी को आगे की प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा के लिए उपलब्ध कराएगी।

1.10 अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह, उनका सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।

1.11 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईऐंडएमटी)और आवश्यक कौशल/ट्रेड परीक्षाओं में अर्हक घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पद के लिए निर्धारित परीक्षणों/ परीक्षाओं के सिर्फ मेरिट के आधार पर आयोग द्वारा तैयार एवं घोषित की जाएगी और इसकी आधिकारिक वेबसाइट परअपलोड की जाएगी। 15% अभ्यर्थियों (श्रेणी-वार) की एक "रिजर्व पैनल / अतिरिक्त सूची" भी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनकी योग्यता; श्रेणी-वार के अनुसारअधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अलावा तैयार की जाएगी और वही दिल्ली पुलिस को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'रिजर्व पैनल' का संचालन और रखरखाव दिल्ली पुलिस द्वारा अपने स्थायी आदेश संख्या HRD/08/2022 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आयोग 'रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची' के रखरखाव के संबंध में किसी भी शिकायत/आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

1.12 परीक्षा-विज्ञप्ति (भौतिक मानकों, चिकित्सा मानकों, आयु, आरक्षण आदि से संबंधित भर्ती नियमों से संबंधित नीतिगत मुद्दों को छोड़कर), ऑनलाइन आवेदनों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित आरटीआई/ लोक शिकायतों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी जबकि भर्ती नियमों, स्थायी आदेशों और किसी भी परीक्षा / परीक्षा से संबंधित अन्य आरटीआई / लोक शिकायतें (जैसे पीईऐंडएमटी, चिकित्सा परीक्षा, कौशल परीक्षा/ ट्रेड टेस्ट आदि) पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

1.13 ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन, पीईएंडएमटी या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट-लिस्टिंग और दिल्ली में अभ्यर्थियों द्वारा दायर अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम की तैयारी से संबंधित अदालती मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अन्य क्षेत्रों/दिल्ली के बाहर के ऐसे अदालती मामलों पर कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।

1.14 अन्य सभी मुद्दों जैसे परीक्षा की योजना, रिक्तियों, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईऐंडएमटी), अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनके सत्यापन, या दिल्ली पुलिस द्वारा

आयोजित किसी भी परीक्षा, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई), समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से संबंधित अदालती मामले/आरटीआई/लोक शिकायतों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

1.15 गलत सत्यापित डेटा या पीईऐंडएमटी/ मेडिकल फिटनेस स्थिति में परिवर्तन के कारण मेरिट/चयन सूची/रिजर्व सूची में परिवर्तन (समावेश/ निकालना) के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

1.16 मेरिट/ चयन सूची/ रिजर्व सूची में से किसी भी अभ्यर्थी के गलत समावेश/निकालने के कारण परिणाम में किसी भी परिवर्तन के मामले में, संशोधित परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

1.17 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करने की प्रक्रिया पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

1.18 दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित पीईऐंडएमटीया कंप्यूटर पर टाईपिंग टेस्ट और कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) टेस्ट के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

**2.** **<u>वेतनमान:</u>** वेतन स्तर-4 (25500-81100 रुपए) (समूह 'ग')

**3.** **रिक्तियाँ** : संभावित रिक्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है :-

**<u>प्रधान सिपाही (लिपिकीय)-पुरुष</u>**

| क्र.सं | श्रेणी | अना. | आकव | अपिव | अजा | अजजा | **योग** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खुली | 151 | 31 | 67 | 40 | 06 | **295** |
| 2 | भू.पू.सै. | 17 | 03 | 10 | 09 | 07 | **46** |
| **योग** | | **168** | **34** | **77** | **49** | **13** | **341** |

खुली श्रेणी की 295 रिक्तियों में से 07 रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित है {(40% और उससे अधिक की गति विषयक दिव्यांगता (या तो एक या दोनों पैर प्रभावित)}। उनका पद सिविलियन प्रकृति का होगा और वे दिल्ली पुलिस की वर्दी नहीं पहनेंगे। पद के लिए आवेदन करते समय इस तरह का दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।

**<u>प्रधान सिपाही (लिपिकीय)-महिला</u>**

| क्र.सं | श्रेणी | अना. | आकव | अपिव | अजा | अजजा | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खुली | 82 | 17 | 38 | 24 | 07 | **168** |
| **योग** | | **82** | **17** | **38** | **24** | **07** | **168** |

खुली श्रेणी की 168 रिक्तियों में से 04 रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित है {(40% और उससे अधिक की गति विषयक दिव्यांगता (या तो एक या दोनों पैर प्रभावित)}। उनका पद सिविलियन प्रकृति का होगा और वे दिल्ली पुलिस की वर्दी नहीं पहनेंगे। पद के लिए आवेदन करते समय इस तरह का दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।

***नोट:*** *रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। आयोग रिक्तियों को रिपोर्ट के अनुसार प्रकाशित करता है और कुल रिक्तियों के निर्धारण, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों के पृथक्करण आदि में इसकी कोई भूमिका नहीं है।*

3.1 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /ईडब्ल्यूएस की रिक्तियां दिल्ली पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों/ नियमों के अनुसार पद आधारित रोस्टर के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

3.2 दिल्ली पुलिस ने बताया है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3.3 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा। दिल्ली पुलिस की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।

**4. <u>राष्ट्रीयता/ नागरिकता</u>: अभ्यर्थी को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए।**

**5. आयु सीमाः 01.07.2025 को 18 से 25 वर्ष (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02-07-2000 से पहले और 01-07-2007 के बाद न हुआ हो)। उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में सिर्फ निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी:-**

5.1 यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो अधिकतम 5 वर्ष तक।

| कोड सं. | श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में |
|---|---|---|

| | | अनुज्ञेय छूट / ऊपरी आयु सीमा |
|---|---|---|
| 01 | अजा/ अजजा | 05 वर्ष |
| 02 | अपिव | 03 वर्ष |
| 03 | शा.दि (अनारक्षित) | 10 वर्ष |
| 04 | शा.दि (अपिव) | 13 वर्ष |
| 05 | शा.दि (अजा/ अजजा) | 15 वर्ष |
| 06 | भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) | ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष |
| 08 | विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने रिक्तियों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा/अजजा को छोडकर)। | 05 वर्ष |
| 09 | विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने रिक्तियों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा/अजजा)। | 10 वर्ष |
| 10 | दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो। | 40 वर्ष तक |
| 11 | दिल्ली पुलिस (अपिव) के विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो। | 43 वर्ष तक |
| 12 | दिल्ली पुलिस (अजा/अजजा) के विभागीय उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो। | 45 वर्ष तक |
| 13 | विधवाएं/ तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अना./इडब्ल्यूएस)। | 35 वर्ष तक |
| 14 | विधवाएं/ तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति | 38 वर्ष तक |

| | | |
|---|---|---|
| | से न्यायिकरूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव)। | |
| 15 | विधवाएं/ तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा) | 40 वर्ष तक |

**नोट 1:** अपिव श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपिव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रमाण पत्र इस उद्देश्य के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। कोई अन्य प्रमाण पत्र पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**नोट 2:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। **<u>अनुबंध-'घ' और 'ङ'</u>** के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार पीई एंड एमटी के समय उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए।

**नोट 3:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। **<u>अनुबंध-'च'</u>** के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए।

**नोट 4:** बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। पीई एंड एमटी के समय उनके पास अपने दावे के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में छूट अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, और बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40% या उससे अधिक की लोकोमोटर दिव्यांगता [या तो एक पैर (ओएल) या दोनों पैर (बीएल) प्रभावित] वाले अभ्यर्थियों को ही अनुमति दी जाएगी।

**नोट 5:** ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्म तिथि वही हो जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई हो और उसी जन्म-तिथि को आयोग द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।

**नोट 6:** आयु सीमा में छूट (कोड 08 और 09) उन विशिष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ियों को मिलेगी जिन्होंने रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का खेलों में प्रतिनिधित्व किया हो। जिस खेल के लिए छूट उपलब्ध है उसका उल्लेख **अनुबंध 'क'** में दिया गया है। खेल प्रमाणपत्र **अनुबंध 'ख'** और **'ग'** में संलग्न प्रोफार्मा में जारी किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी की तस्वीर राज्य/राष्ट्रीय खेल महासंघ के सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित होगी।

**नोट 7:** **"विभागीय अभ्यर्थी"** का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताएं पूरी करता हो।

**6.** <u>दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों / मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रितों के लिए छूट:</u>

**6.1** सेवारत, सेवानिवृत, या दिवंगत दिल्ली पुलिस कर्मियों/ दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों/पुत्रियों, जो शारीरिक मानक संबंधी सामान्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं**,** उनके मामले में निम्नलिखित छूट स्वीकार्य हैं**:-**

1. ऊंचाई (पुरुष /महिला) : 5 सेंटीमीटर की छूट
2. सीना ( केवल पुरुष) : 5 सेंटीमीटर की छूट

**6.2** यह छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कर्मियों /मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों/ पुत्रियों को ही दी जाएगी, जिन्हें दंड के रूप में बर्खास्तगी/ निष्कासन/ पद से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा नहीं दी गई है।

**नोट 1:** दिल्ली पुलिस के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी के पुलिस कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रित दोहरी छूट पाने के पात्र नहीं होंगे। वे या तो अपनी श्रेणी में या दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रित (वार्ड) के रूप में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

**नोट 2:** इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल उस संबंधित जिला/यूनिटों के उप पुलिस आयुक्त / अपर उप पुलिस आयुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त / मुख्यालय [पुलिस मुख्यालय स्टाफ के मामले में उप पुलिस आयुक्त / मुख्यालय या सहायक पुलिस आयुक्त / सीआर (पुलिस मुख्यालय)], जहां पुलिस कर्मी की अंतिम तैनाती थी, द्वारा संबंधित सेवा रिकार्ड के सत्यापन के पश्चात जारी **<u>अनुबंध-'छ '</u>**के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनंतिम रूप से

परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रमाण पत्र शारीरिक माप परीक्षण के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. **<u>भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा</u>**: भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 14-04-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/5/85-स्था. (एससीटी) में यथा-परिभाषित भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार है:

"एक भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना और वायु सेना में एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है और

i) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ/हुई है ; या

ii) जिनकी सेवा निवृत्ति पंजिका में भूतपूर्व सैनिक के रूप में पृष्ठांकन है ;या

iii) जिसे चिकित्सा आधार पर अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया होजोकि सैन्य सेवा के रूप में मानी जाए तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई हो; या

iv) जिसे कर्मचारियों की संख्या में कटौती के परिणामस्वरुप, स्वयं के अनुरोध के बिना ऐसी सेवा से कार्यमुक्त कियागया हो; या

v) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल हैं:

क) निरंतर सन्निहित सेवा के पेंशन धारक,

ख) सैन्य सेवा के कारण निशक्त व्यक्ति; और

ग) वीरता पुरस्कार विजेता।

7.1 तथापि प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को दिनांक 15-11-86 से पूर्व सैनिक माना जाएगा।

7.2 भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर प्रधान सिपाही (लिपिकीय) के रूप में पुन: सूचीबद्ध होने के पात्र हैं, यदि उनकेसेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र में पिछली सेवा को अच्छा या उच्च वर्गीकरण / ग्रेडिंग के रूप में दर्शाया गया हो, बशर्ते कि वे खुली प्रतियोगिता हेतु प्रधान सिपाही (लिपिकीय) के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप हों और समय-समय पर पुलिस आयुक्त द्वारा अनिवार्य स्थाई आदेश जारी करके निर्धारित क्षमता /दक्षता परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं।

**नोट 1:** ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ लेते हुए केंद्र सरकार (राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अधीन समूह 'ग' और 'घ' पदों पर नियमित आधार पर पहले ही रोजगार हासिल कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत शुल्क में छूट या आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं । तथापि वे केवल आयु में छूट के पात्र हैं।

**नोट 2:** सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

**नोट 3:** आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/ सेवा के लिए आवेदनपत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

**स्पष्टीकरण**

i) संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, "भूत पूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, उन्हें सेवावधि की निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते है, लेकिन जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दीजाएगी।

ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होगा जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवा निर्मुक्ति की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होने की तिथि/सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि पूरी करने की तिथि आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। अनापत्ति प्रमाणपत्र में सशस्त्र बलों से सेवा मुक्ति की तारीख का कोई उल्लेख नहीं होने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना कोई कारण बताए उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

iii) एक मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र (स्नातक प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र समझा जाएगा।

## 8. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

8.1.1 जो अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति चाहते हैं या आयु-छूट चाहते हैं ,जब दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा, कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा/ कंप्यूटर (फ़ोर्मेटिंग) परीक्षा के दौरान ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। अन्यथा ,अजा /अजजा /अपिव /आकव /दिव्यांगजन/ भूपूसै श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पर अनारक्षित (यूआर)/संबंधित श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

8.2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार छूट दी जाएगी। यह छूट उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अ.पि.व. प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता के अनुसार इस आरक्षण के हकदार हैं और निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इस प्रयोजन के लिए **निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि** होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

8.3 आ.क.व. श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले और आ.क.व. आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt.(Res.) के अनुसार **अनुबंध-च** में दिए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र हो। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

8.4 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपरोक्त के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि होने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को आगाह किया

जाता है कि यदि वे धोखा-धड़ी से अजा / अजजा / अपिव / आकव / दिव्यांगजन / भूपूसै होने का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

**9. अनिवार्य योग्यता <u>(पद के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए) [ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक]:</u>**

**(i)** आवेदनपत्र भरने के समय किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

**(ii)** व्यावसायिक उपलब्धियां:

- अंग्रेजी टंकण की गति - 30 शब्द प्रति मिनट

**या**

- हिंदी टंकण की गति - 25 शब्द प्रति मिनट

9.1 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10-06-2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी आधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है जब अभ्यर्थियों द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो, तो शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.2 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को **ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि** को पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करने के साक्ष्य के रूप में इंटरमीडिएट / हायर सेकेंडरी/ 10 + 2 / सीनियर सेकेंडरी को पास करने के प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसे- अंक-पत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । जो अभ्यर्थी यह साबित करने में सक्षम होंगे कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख को या उससे पहले घोषित कर दिया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, उन्हें भी शैक्षिक योग्यता को पूरा करने में सक्षम माना जाएगा। **<u>यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का</u>**

**परिणाम बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक केवल परिणाम तैयार किया जाना शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है** ।

9.3 पद के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य शारीरिक मानक वही होंगे जो ऐसे पद पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में निर्धारित हैं। दिल्ली पुलिस [नियुक्ति और भर्ती] नियम, 1980 में निर्धारित मामलों और तरीकों को छोड़कर स्थायी आदेश में प्रदान की गई छूट के अलावा अन्य किसी भी अर्हता या मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

9.4 समकक्ष शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रासंगिक समानता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा।

**10. एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्रोत्साहन :**

10.1 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को प्रोत्साहन निम्नलिखित स्तरों पर दिया जाएगा:

| **प्रमाणपत्र श्रेणी** | **प्रोत्साहन/बोनस अंक** |
|---|---|
| एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र | परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5% |
| एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र | परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3% |
| एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र | परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2% |

**नोट:** यह लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन/पीईएंडएमटी के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। **यह लाभ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।**

10.2 **अतिरिक्त अंकों का वेटेज :** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो निम्नलिखित मापकों पर होंगे: -

| **डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी** | **दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक** |
|---|---|
| विशेष योग्यता | परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5 % |
| प्रथम श्रेणी | परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4 % |
| द्वितीय श्रेणी | परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3 % |

| | |
|---|---|
| पास श्रेणी | परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2 % |

**नोट :** लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन/पीईएंडएमटी के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।

11. **आवेदन कैसे करें:**

11.1 ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल एसएससी मुख्यालय की वेबसाइट, अर्थात https://ssc.gov.in पर या **'mySSC'** मोबाइल एप्लिकेशन (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा किया जाना चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया इस परीक्षा नोटिस के **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** के साथ-साथ मोबाइल ऐप से संबंधित दिनांक 02.06.2025 का नोटिस भी देखें जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है (एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदनपत्र का नमूना प्रपत्र क्रमशः **अनुबंध-Iक** और **अनुबंध-IIक** के रूप मे संलग्न है)।

11.2 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **20.10.2025 (23:00 बजे)** है।

11.3 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमाकर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।**

11.4 वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) जनरेट नहीं किया है, उन्हें ऐसा करना होगा क्योंकि आयोग की पुरानी वेबसाइट (अर्थात https://ssc.nic.in) पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर जनरेट हो जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-I और Iक** में दिए गए हैं।

11.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित **आधार नीति** के अनुसार **आधार-आधारित प्रमाणीकरण** का विकल्प चुनें। **आधार प्रमाणीकरण का विकल्प** चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र **इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएँगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।** ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल पर प्रवेश के लिए हाल ही की रंगीन तस्वीरें, मूल वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

11.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए अभ्यर्थी के पास पहले से मौजूद अपनी तस्वीर होना **आवश्यक नहीं है।** ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की वास्तविक समय की तस्वीर ली जा सके। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा/बैठना होगा और तस्वीर लेते समय निम्नलिखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा: -

क. अच्छी रोशनी और सादे पृष्ठभूमि वाली जगह ढूंढें।

ख. फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर हो।

ग. कैमरे के लेंस के ठीक सामने खड़े हों और सीधे आगे देखें।

घ. सुनिश्चित करें कि उनका चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। इससे क्षेत्र पूरी तरह से ढका होना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।

ङ. फोटो खींचते समय अभ्यर्थियों को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

11.7 परीक्षा में बैठते समय अभ्यर्थी का रूप-रंग ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होना चाहिए। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर **साफ़ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो** और **सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। निर्देशों के अनुरूप न होने वाली तस्वीर वाला** ऑनलाइन आवेदन पत्र **अस्वीकार किया जा सकता है।** किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उसकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर ली गई हो, तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएँगे। हालाँकि, **आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया** के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को उपरोक्त आधारों पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.8 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी तस्वीर निर्देशों के अनुसार अपलोड की गई है। **यदि तस्वीर निर्धारित प्रारूप/आकार में अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्र/अभ्यर्थिता को अस्वीकार या रद्द कर दिया जाएगा। हालाँकि, उपरोक्त आधार पर अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आवेदन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया है।**

11.9 अभ्यर्थी को स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीइजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर का आकार लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त तस्वीरों या धुंधले/छोटे हस्ताक्षरों वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालाँकि, उपरोक्त आधार पर अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आवेदन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया है।

11.10 यदि अभ्यर्थी सर्वर पर अत्यधिक लोड के कारण या आयोग के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

11.11 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वावलोकन विकल्प देखना होगा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही जानकारी/विवरण दिया है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

11.12 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा पीईएंडएमटी/दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनके मूल दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। यदि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत/झूठी है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी दी है।

12. **आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका:**

12.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (एक सौ रुपए मात्र)।

12.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), दिव्यांगजन से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

12.3 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है ।

12.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक 21.10.2025 (23:00बजे) तक कर सकते हैं।

12.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदनपत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

12.6 एक बार भुगतान किया गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा ।

12.7 भुगतान लेनदेन से संबंधित कोई भी मुद्दा/चिंता फीडबैक तंत्र के माध्यम से उम्मीदवार के लॉगिन पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है।

13. **<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो [21.10.2025 से 29.10.2025 (23:00 बजे)]:</u>**

13.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

13.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

13.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

13.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

13.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

13.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

13.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। **'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।** इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें **सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

14. **परीक्षा केंद्र** :

14.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में केंद्र (केंद्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देना चाहता / चाहती है । परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अंतर्गत ये परीक्षा केंद्र स्थित हैं, के विवरण इस प्रकार हैं:

| **क्र. स.** | **परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड** | **कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ शासित राज्य** | **क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट** |
|---|---|---|---|
| 1 | भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), गया (3203)। | **मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/**<br><br>बिहार और उत्तर प्रदेश | क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211001।<br>( www.ssc-cr.org ) |
| 2 | श्री विजया पुरम (4802), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), कल्याणी (4419), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता/हावड़ा (4410), सिलीगुड़ी (4415), बर्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), सूरी (4416), ढेंकनाल (4611)। | **पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/**<br>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल | क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली एमएसओ बिल्डिंग, (8वीं मंजिल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020<br>( www.sscer.org) |
| 3 | बेलागवी (9002), बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कालाबुरागी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कन्नूर (9202), कावारत्ती (9401) | **कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)/** लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल | क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक-560034<br>( www.ssckkr.kar.nic.in ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205) ) | **मध्य प्रदेश क्षेत्र (म.प्र.क्षे.)/** छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश | क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, निवेश भवन, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 ( www.sscmpr.org ) |
| 5 | ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इंफाल (5501), चुराचांदपुर (5502), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601). | **उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)/** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। | क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला-बशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 ( www.sscner.org.in ) |
| 6 | दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रूड़की (2006)। | **उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)/** दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड | क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ( www.sscnr.nic.in ) |
| 7 | चंडीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) (1007), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405)। | **उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (उ.प.क्षे.)/** चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब | क्षेत्रीय निदेशक (उ.प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, भूतल, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 ( www.sscnwr.org ) |
| 8 | गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), एलुरु (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), वेल्लोर (8208), हैदराबाद/सिकंदराबाद (8601), वारंगल (8603), ओंगोल (8014), सिद्दीपेट (8605), थूथुकुडी (8207), | **दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/** आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। | क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 ( www.sscsr.gov.in ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | करूर (8210)। | | |
| 9 | पणजी (7801), अहमदाबाद/गांधीनगर (7001), आनंद (7011), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)। | **पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)/** दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र | क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल , साउथ विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 ( www.sscwr.net ) |

14.2 अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए, प्राथमिकता के क्रम में, तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा । किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा । अतः अभ्यर्थियों को केंन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए ।

14.3 आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र में समायोजित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, आयोग ऊपर **पैरा 14.1** में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में से किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

15. **परीक्षा की योजना/ भर्ती का तरीका:**

चयन प्रक्रिया में दिए गए क्रम में निम्नलिखित अनिवार्य परीक्षाएं होंगी : -

| **क्र.सं.** | **टेस्ट / परीक्षा** | **अधिकतमअंक/ अर्हकारी** |
|---|---|---|
| (i) | क.च.आ. द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा | 100 अंक |
| (ii) | दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) | अर्हकारी |
| (iii) | दिल्ली पुलिस द्वारा कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा | 25 अंक |
| (iv) | दिल्ली पुलिस द्वारा कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा | अर्हकारी |

15.1 सभी अभ्यर्थियों (महिला और पुरूष) को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली डेढ़ घंटे **(90 मिनट)** की कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी ।

15.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें **100 अंकों** के 100 **प्रश्न होंगे।**

15.3 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा** ।

15.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों पर प्रश्नपत्र **केवल हिंदी और अंग्रेजी** में होंगे : -

| **विषय** | | **प्रश्नों की संख्या** | **अधिकतम अंक** |
|---|---|---|---|
| भाग- क | सामान्य जानकारी | 20 | 20 |
| भाग-ख | संख्यात्मक अभिरूचि (मूल अंकगणितीय कौशल) | 20 | 20 |
| भाग- ग | सामान्य बुद्धिमत्ता | 25 | 25 |
| भाग-घ | अंग्रेजी भाषा (सामान्य ज्ञान) | 25 | 25 |
| भाग-ड. | कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. और वेब ब्राउजर आदि | 10 | 10 |
| **कुल** | | **100** | **100** |

15.5 बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूडी) वाले व्यक्तियों को परीक्षा के लिए कोई प्रलिपिक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

15.6 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षा की तिथियां अनंतिम हैं। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।

15.7 परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/ पुन: जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा । इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

15.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

15.9 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.25 अंक काटे जाएंगे।** इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए।

15.10 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा प्रकाशित दिनांक **02-06-2025 की विज्ञप्ति** के तहत प्रकाशित सूत्र का प्रयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ निर्धारित करने के लिए किया जाएगा ।

15.11 परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देख लें और यदि कोई हो, तो आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रति प्रश्न ₹50/- का भुगतान करके ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो वापस नहीं किया जाएगा। इस विषय पर किसी अन्य माध्यम, जैसे पत्र, आवेदन, ईमेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों से संबंधित अभ्यावेदनों की जाँच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

15.12 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अंतिम उत्तर कुंजियाँ और अंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएँगे।

15.13 आयोग परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें रोकना भी शामिल है।

**16. <u>कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम:</u>**

**(क) <u>सामान्य जानकारी:</u>** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

**(ख) <u>संख्यात्मक अभिरूचि (मूलभूत अंकगणित कौशल):</u>** पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज (साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य, स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, वृत जीवाओं द्वारा अंतरित कोण दो या अधिक

वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा, त्रिकोण, चतुर्भुज, नियत बहुभुज, वृत, सम प्रिज्म, सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयताकार समांतर षट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, अंश और त्रिज्या कोण की मॅप, मानक सारूप्यता, संपूरक कोण, ऊंचाई व दूरी, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज, दंड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट ।

**(ग) <u>सामान्य बुद्धिमता</u>** : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इसमें विषय हैं: सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/ अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/ अंक संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक श्रेणी, अंक वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग एवं डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, प्रवृत्तियां, अंतराल अभिविन्यास, अंतराल दृश्यता (विज्यूलाइज़ेशन), वैन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/ पैटर्न फ़ोल्डिंग व अन्फोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फ़ोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, कैंद्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/ डिकोडिंग व वर्गीकरण, अन्तः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमता, सामाजिक बुद्धिमता और यदि कोई हो तो अन्य उप विषय।

**(घ) <u>अंग्रेजी भाषा(मूलभूत जानकारी)</u>** : त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक वर्तनी/ गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथं में रूपांतरण, वाक्यांशों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ।

**(ड.) <u>कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, डबल्यूडबल्यूडबल्यू और वेब ब्राउजर आदि ।</u>**

इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित पर प्रश्न होंगे :

1. वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व [वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभिक, दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ रचना (टेक्स्ट क्रीएशन), पाठ स्वरूपण (टेक्स्ट का फॉर्मेट करना) और इसके प्रस्तुतीकरण की विशेषताएं (प्रेजेन्टेशन फीचर्स)]।

2. एमएस एक्सेल (स्प्रेड शीट के तत्व, सेल्स का संपादन, कार्य और सूत्र, फंक्शन और फार्मूला)।

3. संचार (ई-मेल की मूल बातें, ई-मेल भेजना/प्राप्त करना और उससे संबंधित कार्य)।

4. इंटरनेट, डबल्यूडबल्यूडबल्यू और वेब ब्राउजर (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेब साइट, ब्लॉग, वेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग) आदि ।

**17. <u>पीईएंडएमटी में बैठने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा</u>**

17.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।

17.2 प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य /अजा /अजजा /अपिव/ ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक (श्रेणी- वार) में रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुणा के बराबर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट की सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीई एवं एमटी) में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। यदि कटऑफ अंकों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, तो संबंधित श्रेणी के लिए उस कटऑफ के सभी अभ्यर्थियों को पीई एवं एमटी के लिए बुलाया जाएगा।

17.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में रिक्तियों की संख्या का 20 गुना बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) [40% और उससे अधिक की लोकोमोटर विकलांगता [या तो एक पैर (ओएल) या दोनों पैर (बीएल) प्रभावित] सीधे कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्हें शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षण (पीई एंव एमटी) से छूट दी गई है। हालाँकि, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उपस्थित होना होगा।

17.4 उपरोक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों, 35% अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, कुल मिलाकर 30% अंक प्राप्त करनेवाले दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)/ भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण माना जा सकता है। यदि अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या अर्हता प्राप्त नहीं करते है, तो कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से प्राप्त न्यूनतम अंक कम कर सकता है।

18. **<u>शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हक)</u>** :

**क) <u>पुरुष अभ्यर्थी:</u>**

**<u>भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए</u>**:

| **आयु** | **दौड़: 1600 मीटर** | **लम्बी कूद** | **ऊँची कूद** |
|---|---|---|---|
| 30 वर्ष तक | 07 मिनट | 12½ फीट (12’6”) | 3½ फीट (3’6”) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 से 40 वर्ष तक | 08 मिनट | 11½ फीट (11'6") | 3¼ फीट (3'3") |
| 40 वर्ष से ऊपर | 09 मिनट | 10½ फीट (10'6") | 3 फीट |

**ख)** **<u>महिला अभ्यर्थी:</u>**

**<u>विभागीय अभ्यर्थियों और विधवा/ तलाक़शुदा/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए</u>**:

| **आयु** | **दौड़ : 800 मीटर** | **लम्बी कूद** | **ऊँची कूद** |
|---|---|---|---|
| 30 वर्ष तक | 05 मिनट | 9 फीट | 3 फीट |
| 30 से 40 वर्ष तक | 06 मिनट | 8 फीट | 2½ फीट (2'6") |
| 40 साल से ऊपर | 07 मिनट | 7 फीट | 2¼ फीट (2'3") |

**नोट 1:-** वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी ।

**नोट 2:-** "महिला अभ्यर्थी, जो पीई एंड एमटी के समय या तो गर्भवती हैं, या एक बच्चे को जन्म दिया है या गर्भपात हो गया है, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्हे **<u>प्रसूति समाप्त होने तक अस्थायी रूप से अयोग्य</u>** घोषित किया जाएगा। तब तक ऐसे मामलों का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है और रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा।

**नोट 2.1:** प्रसूति की समाप्ति के छह सप्ताह बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी, जो एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

प्रसव की अवधि निम्नानुसार होगी:-

i) बच्चे के जन्म देने से 6 महीने तक।

ii) गर्भपात की तिथि से 45 दिनों तक।

**नोट 2.2:** यदि उसे पीई एंड एमटी के दौरान अर्हक घोषित किया जाता है, उसका परिणाम मेरिट के अनुसार घोषित किया जाएगा।उन्हें आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ की अनुमति दी जाएगी।

**<u>शारीरिक मापदंड (पुरुष एवं महिला)</u>**

**क) पुरुष अभ्यर्थी:**

**(क) <u>ऊंचाई:</u> 165 सेमी.,** इनके लिए 5 सेमी. तक की छुट**:-**

**(i)** पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा , डोगरा , मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र **(पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र)** प्रस्तुत करना होगा)। प्रमाण पत्र का प्रारूप **अनुबंध 'ज'** में संलग्न है।

**(ii)** अजजा अभ्यर्थियों।

**(iii)** दिल्ली पुलिस के सेवारत,सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पुत्रों के लिए।

**(ख) <u>सीना</u>**: 78 सेमी.-82 सेमी. (न्यूनतम4 सेमी विस्तार के साथ), इनके लिए 5 सेमी. तक की छुट:-

(i) पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, जिसके लिए उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) अजजा अभ्यर्थियों।

(iii) दिल्ली पुलिस के सेवारत,सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस केमल्टी टास्किंग स्टॉफ के पुत्रों के लिए।

**ख) महिला अभ्यर्थी:-**

**<u>ऊंचाई:</u>** 157 सेमी., इनके लिए 5 सेमी. तक की छुट:-

**(i)** पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा , डोगरा , मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या

तहसील द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र **(पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र)** प्रस्तुत करना होगा)। प्रमाण पत्र का प्रारूप **अनुबंध 'ज'** में संलग्न है।

**(ii)** अजा/ अजजा अभ्यर्थियों।

**(iii)** दिल्ली पुलिस के सेवारत,सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पुत्रियों के लिए।

19. **<u>शारीरिक मापन</u> :** शारीरिक मापन परीक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाएगा जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

20. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) (पुरुष/महिला) को शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण से छूट दी जाएगी। हालाँकि, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उपस्थित होना होगा।

21. चिकित्सा मानक**:** अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई शारीरिक दोष विकृति या बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोनों आँखों की दृष्टि चश्मे के साथ या बिना चश्में के दृष्टि 6/12 होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई छूट नहीं दी जाती है।

21.1 **<u>दिव्यांगजनों के लिए</u>:-** अच्छा स्वास्थ्य, दोनों आंखों में चश्मे के साथ या बिना चश्में के दृष्टि 6/12। 40% और उससे अधिक (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित) चालन संबंधी दिव्यांगता अनुमत्य होगी। इस पद के लिए शारीरिक अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं : -

| (एफ, पीपी, एल, बी, एस, बीएल) | |
|---|---|
| **कोड** | **शारीरिक अपेक्षाएं** |
| एफ | (उंगलियों से) जोड़-तोड़ करके किया गया कार्य |
| पीपी | खींचकर और धक्का देकर किया गया कार्य। |
| एल | उठाकर किया गया कार्य। |
| बी | झुककर किया गया कार्य। |
| एस | (बेंच या कुर्सी पर) बैठकर किया गया कार्य |
| बीएल | दोनों पैर प्रभावित हैं लेकिन हाथ नहीं। |

**22. <u>शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षा (पीईएंडएमटी)</u>**

22.1 केवल कंप्युटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (पीईएंडएमटी) के लिए बुलाया जाएगा ।

22.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पीईएंडएमटी का आयोजन 03 केंद्रों नामतः दिल्ली पुलिस अकादमी परिसर/ वजीराबाद, दिल्ली अकादमी परिसर-II /झरोदाकलाँ और न्यू पुलिस लाइन, किंग्स वे कैंप, दिल्ली में किया जाएगा ।

22.3 पीईएंडएमटी में उपस्थित होने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को पहले अधिग्रहित क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) में रिपोर्ट करनी चाहिए। अधिग्रहित क्षेत्र के कर्मचारी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो की जांच करेंगे ताकि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतिरूपण न किया जा सके। इसके बाद अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर आवंटित किया जा सकता है और होल्डिंग स्टाफ दौड प्रतिस्पर्धा के लिए बैच तैयार करेगा।

22.4 अधिग्रहित क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) में अभ्यर्थियों का सत्यापन / पहचान करने के बाद, अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर दिया जाएगा और होल्डिंग स्टाफ दौड प्रतिस्पर्धा के लिए बैच तैयार करेगा।

22.5 दौड़ में आर एफ आई डी टैग (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग) का प्रयोग किया जाएगा।

22.6 डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी।

22.7 आयु, शिक्षा, अजा / अजजा / अपिव / आकव, पहाड़ी क्षेत्रों, अनापत्ति प्रमाणपत्र / सेवा निवृत्ति प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ), खेलों से संबंधित प्रमाणपत्र, छुट चाहने वाले दिल्ली के पुलिस कर्मियों के आश्रितों (पुत्रों / पुत्रियों ) को जारी प्रमाणपत्र आदि मूल दस्तावेज / प्रमाणपत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के जाँचे जाएंगे जिन्होंने पीईएंडएमटी (दौड़, लंबी / ऊंची कूद और शारीरिक माप) की सभी प्रतिस्पर्धाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। पीईएंडएमटी के समय अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के लिए उन्हें सभी दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की स्वः सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी ।

22.8 यदि कोई अभ्यर्थी पीईएंडएमटी प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। तथापि उसे 05 कार्य दिवसों के भीतर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जा सकता है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद योग्यता के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता पर फिर से विचार किया जाएगा।

22.9 पीईएंडएमटी प्रक्रिया का परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी को यथोचित रसीद के तहत प्रदान किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से अर्हता / अनर्हता दर्शाई जाएगी । तथापि, अनर्हता/ अस्वीकरण का कारण स्पष्ट किया जा सकता है। अर्हता / अनर्हता के मामले में "अर्हक पर्ची" / "अस्वीकरण पर्ची" की पावती की एक प्रति भी रिकॉर्ड में रखी जाएगी।

**नोट:** ***यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पहले शारीरिक क्षमता परीक्षण और मापन परीक्षण (पीई एंड एमटी) में भाग ले चुका है और दौड़, ऊँची कूद या लंबी कूद जैसी किसी भी स्पर्धा में अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उसका परिणाम अंतिम माना जाएगा। यदि कोई अयोग्य अभ्यर्थी अपनी पिछली भागीदारी या अयोग्यता को छिपाते हुए पुनः परीक्षा में शामिल होता है और बाद में उत्तीर्ण हो जाता है, तो शारीरिक क्षमता परीक्षण का मूल परिणाम मान्य होगा।***

23. **शारीरिक मापन परीक्षा के लिए अपीलीय बोर्ड:** शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक मापन परीक्षण अर्थात ऊंचाई/छाती (पुरुष अभ्यर्थी) और ऊंचाई (महिला अभ्यर्थी) मापन के परीक्षण में शामिल होना होगा। अपनी शारीरिक माप से संतुष्ट नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को पीईएंडएमटी के दिन ही अनर्हता के खिलाफ अपील दायर करनी होगी। बाद में किसी भी स्तर पर आवेदन/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. **कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा (अधिकतम 25 अंक) :** शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (पीईएंडएमटी) में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी; साथ ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 10 मिनट की अवधि की होगी। अंतिम परिणाम तैयार करते समय इसके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में प्राप्त की गई टंकण गति के अनुसार अंक दिए जाएंगे।

24.1. **कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया:-** टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट की अवधि का होगा। न्यूनतम अर्हक गति अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होगी। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में न्यूनतम 400 शब्द या 2000 स्ट्रोक या हिंदी में न्यूनतम 350 शब्द या 1750 स्ट्रोक वाला एक मुद्रित अनुच्छेद प्रदान किया जाएगा। 10 मिनट की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अनुच्छेद टाइप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी/जारी नहीं रखा जाएगा।

टाइपिंग टेस्ट के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित हैं और अंकन निम्नानुसार किया जाएगा: -

| **अंग्रेजी टाइपिंग** | | **हिंदी टाइपिंग** | |
|---|---|---|---|
| 30 शब्द प्रति मिनट से कम | अयोग्य | 25 श.प्र.मि. से कम | अयोग्य |
| 30 श.प्र.मि. | 10 अंक | 25 श.प्र.मि. | 10 अंक |
| 31 से 35 श.प्र.मि. | 12 अंक | 26 से 30 श.प्र.मि. | 12 अंक |
| 36 से 40 श.प्र.मि. | 15 अंक | 31 से 35 श.प्र.मि. | 15 अंक |
| 41 से 45 श.प्र.मि.. | 18 अंक | 36 से 40 श.प्र.मि. | 18 अंक |
| 46 से 50 श.प्र.मि. | 21 अंक | 41 से 45 श.प्र.मि. | 21 अंक |
| 50 श.प्र.मि. से अधिक | 25 अंक | 45 श.प्र.मि. से अधिक | 25 अंक |

24.2. **<u>अंग्रेज़ी और हिंदी टाइपिंग गति के मूल्यांकन की प्रक्रिया</u>**

**<u>अवधि - 10 मिनट</u>**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | कुल स्ट्रोक/5 | शब्द |
| (ii) | कुल शब्द/टेस्ट का समय | संभावित गति |

**<u>गलतियाँ</u> -** प्रत्येक गलती के लिए 1 शब्द

**<u>उदाहरण</u>**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | टाइप की गई स्ट्रोक की कुल संख्या | 2000 |
| (ii) | शब्द | 2000 ÷ 5 = 400 शब्द |
| (iii) | संभावित गति | कुल शब्द/टेस्ट का समय<br>(400 ÷ 10 = 40 श.प्र.मि.) |
| (iv) | गलतियों की संख्या | 10 |
| (v) | **वास्तविक गति** | **40-10 = 30 श.प्र.मि.** |

**25. <u>कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा (अर्हकारी)</u> :** कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और एमएस-वर्ड, एमएस-पावरपॉइंट और एमएस-एक्सेल पर परीक्षण किया जाएगा जो अर्हकारी प्रकृति का होगा। अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उसी तरह से प्रारूपित (फॉर्मेट) करना होगा जैसा कि दिए गए हैंडआउट में है और प्रिंटर से इसे प्रिन्ट करना होगा। सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित प्रारूपण सुविधाओं (फॉर्मेटिंग फीचर्स) का परीक्षण किया जाना चाहिए:

**<u>एमएस-वर्ड</u>** **समय :10 मिनट**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | पैराग्राफ बनाना | (xi) | सुपरस्क्रिप्ट |
| (ii) | रेखांकन | (xii) | सबस्क्रिप्ट |
| (iii) | विभिन्न प्रकार का फ़ॉन्ट उपयोग करना | (xiii) | पृष्ठ संख्या अंकन (पेज नंबरिंग) |
| (iv) | पैराग्राफ संख्या सम्मिलित करना | (xiv) | चिन्ह या प्रतीक लगाना |
| (v) | बाएँ/दाएँ हाशिया लगाना | (xv) | तालिका बनाना / पाठ के बीच में तालिका को जोड़ना |
| (vi) | टेक्स्ट को बड़े अक्षरों (बोल्ड) में करना | (xvi) | बुलेट / संख्या अंकन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (vii) | तिरछे (इटेलिक्स) अक्षर | (xvii) | केस बदलना |
| (viii) | विभिन्न फ़ॉन्ट आकार का उपयोग | (xviii) | पैराग्राफों की सेटिंग |
| (ix) | टेक्स्ट बीच में, बाएं, दायें, दोनों ओर बराबर करना | (xix) | शीर्षलेख (हेडर) जैसे कुछ टेक्स्ट |
| (x) | पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग सिंगल, डबल आदि | (xx) | पादलेख (फुटर) जैसे कुछ टेक्स्ट |

**<u>एमएस-पावरपॉइंट</u>** **समय :10 मिनट**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | हैडर बनाना | (xi) | स्लाइड की पृष्ठभूमि शैली (बैकग्राउन्ड स्टाइल) |
| (ii) | टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करना | (xii) | स्लाइड का डिजाइन |
| (iii) | हाइपरलिंक बनाना | (xiii) | प्रिंट हैंडआउट |
| (iv) | चार्ट/ग्राफ सम्मिलित करना | (xiv) | क्लिप आर्ट बनाना |
| (v) | तालिका बनाना | (xv) | पादलेख बनाना |
| (vi) | तालिका में स्वांकन (ऑटो नंबर) करना | (xvi) | स्लाइड में संख्यांकन (नंबरिंग) |
| (vii) | तालिका में बुलेट बनाना | (xvii) | चित्र सम्मिलित करें |
| (viii) | आकृति बनाना | (xviii) | एमएस वर्ड के साथ हैंडआउट छापना |
| (ix) | स्मार्ट आर्ट बनाना | (xix) | क्रियाकरन (एक्शन) सम्मिलित करना |
| (x) | वर्डआर्ट के साथ टेक्स्ट बनाना | (xx) | पाठ का संरेखण |

**<u>एमएस-एक्सेल</u>** **समय :10 मिनट**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | चार्ट/ग्राफ सम्मिलित करना | (xi) | सेल को रुपये के रूप में प्रारूपित करना |
| (ii) | टेक्स्ट को रैप करना | (xii) | क्लिप आर्ट बनाना |
| (iii) | खानों को मिलाना (सेल्स मर्ज करना) | (xiii) | फ़ॉन्ट का आकार |
| (iv) | टेक्स्ट को केंद्र में रखना | (xiv) | फ़ॉन्ट की शैली (फ़ॉन्ट स्टाइल) |
| (v) | टेक्स्ट के रूप में केंद्र संरेखित करना | (xv) | फ़ॉन्ट का रंग (फ़ॉन्ट कलर) |
| (vi) | टेक्स्ट का उन्मुखीकरण | (xvi) | फुटर बनाना |
| (vii) | बोल्ड टेक्स्ट | (xvii) | डेटा क्रमबद्ध करना (सॉर्ट डेटा) |
| (viii) | टेक्स्ट को रेखांकित करना | (xviii) | सूत्र सम्मिलित करना |
| (ix) | तिरछे (इटेलिक्स) अक्षर | (xix) | आकृतियां बनाना |
| (x) | हेडर बनाना | (xx) | सेल को संख्या और दशमलव |

| | | | स्थानों के रूप में प्रारूपित करना |
|---|---|---|---|

उपरोक्त सूचीबद्ध फॉरमेटिंग की 20 विशेषताओं की परीक्षा की जा सकती है प्रत्येक परीक्षण में फॉरमेटिंग की प्रत्येक विशेषता के लिए 1/2 अंक होगा। **फॉरमेटिंग विशेषताओं के मामले में यदि अभ्यर्थी नमूने के अनुसार फारमेटिंग करते हैं, तो प्रत्येक के लिए ½ अंक दिया जाएगा। अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जाएगा ।** प्रत्येक परीक्षा के लिए फारमेटिंग विशेषता हेतु 10 अंकों में से अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 6 अंक प्राप्त करने चाहिए। संपादन सुविधा (एडिटिंग टूल्स) के उपयोग से अभ्यर्थियों द्वारा गलतियों को सुधारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है

## 26. बराबरी (टाई) के मामलों का समाधान

ऐसे मामले में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा: -

i) अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

ii) यदि जन्म तिथि भी समान है, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

iii) यदि जन्म तिथि और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंक समान हैं, तो कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जाएगी।

iv) यदि जन्म तिथि, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंक और कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में अंक भी समान हैं, तो वर्णानुक्रम क्रम, जिसमें अभ्यर्थी का प्रथम नाम आता है, के आधार पर मामले का निर्णय किया जाएगा।

## 27. अंतिम परिणाम की घोषणा

27.1 कंप्यूटर (फोरमेटिंग) परीक्षा में अर्हक घोषित अभ्यर्थियों की सूची से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (100 अंक), कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा (25 अंक) और प्रोत्साहन / बोनस अंक (यदि कोई हो) में योग्यता के आधार पर अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों (विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुसार) (श्रेणी वार) तैयार की जाएगी और घोषित की जाएगी।

27.2 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनकी योग्यता / श्रेणी के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त 15% अभ्यर्थियों का "रिजर्व पैनल" भी तैयार किया जाएगा और इसे दिल्ली पुलिस को सीलबंद लिफ़ाफ़े में दिया जाएगा, जो अपलोड नहीं किया जाएगा। रिजर्व पैनल का संचालन दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा।

27.3 अजा / अजजा / अपिव वर्गों के अभ्यर्थी, जो अन्य समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के साथ, बिना किसी छूट के मानकों के अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, उन्हें रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अजा, अजजा और अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य /अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित

किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा, जिसमें अजा, अजजा, अपिव वर्ग के वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनकी योग्यता अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में चयनित अंतिम सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में काम है, परंतु छूट के मानकों के अनुसार वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

27.4 आकव श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को एक अनारक्षित रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु प्रतिस्पर्धा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आकव श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है न कि आरक्षण के आधार पर, उन्हें आरक्षण के लिए निर्धारित कोटे में नहीं गिना जाएगा।

27.5. अभ्यर्थियों का चयन अनंतिम रूप से उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन और पद के लिए निर्धारित मेडीकल फिटनेस के अधीन किया जाएगा। सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों को छिपाने / गलत बयानी के परिणाम स्वरूप अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। यदि सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों को छिपाने / गलत बयान बयान देने का पता चलता है, तो अभ्यर्थी के खिलाफ स्थायी आदेश संख्या HRD/12/2025 के प्रावधानों और समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और वह अपने प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि को राज्य के खजाने को वापस करने के लिए भी उत्तरदायी होगा/होगी । उन्हें दिल्ली पुलिस में सेवा देने से भी वंचित कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

27.6 अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद ,कर्मचारी चयन आयोग उसे दिल्ली पुलिस को एक सॉफ्ट / हार्ड कॉपी में देगा ताकि दिल्ली पुलिस अनिवार्य सरकारी औपचारिकताओं के बाद के चरणों को शुरू कर सके, जैसे- पुलिस सत्यापन /चिकित्सा परीक्षा फॉर्म भरकर / जमा करके चिकित्सा परीक्षा और पुलिस सत्यापन करना आदि ।

27.7 भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन, दिल्ली अपेक्षित फार्मो को भरने / जमा करने का कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करेगा ।

27.8 भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और अभ्यर्थी की भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन, दिल्ली के कार्यालय में बार-बार यात्रा से बचने के लिए सभी अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी के साथ स्थिति अर्थात नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, श्रेणी चिकित्सा परीक्षा की स्थिति, पुलिस सत्यापन और कार्यग्रहण की तारीख आदि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

27.9 “नियुक्ति का प्रस्ताव” पत्र प्राप्त करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को “बुलावा पत्र (कॉल लेटर)” जारी किया जाएगा । यह पत्र चयनित अभ्यर्थियों को सभी अनिवार्य औपचारिक्ताओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया जाएगा, जो की मेडिकल फिटनेस, चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन और दस्तावेजों की अंतिम जांच आदि के अध्यधीन है ।

27.10 “नियुक्ति का प्रस्ताव” पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल उस अभ्यर्थी को ही जारी किया जाएगा, जिसने सफलतापूर्वक सभी अपेक्षित दस्तावेज (मूल रूप में) जमा कर दिया हैं ।

27.11 इसके बाद, अभ्यर्थियों को “अनुबंध प्रपत्र/बांड” (एफ-81) दिया जाएगा, जिसे उन्हें प्रशिक्षण में शामिल होने के समय प्रस्तुत करना होगा।

**नोट:-** सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामले**,** जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है / जांच लंबित है / न्यायालय में मामला विचाराधीन है**,** उनके मामलों पर एस.ओ. सं. 398/2018 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के मद्देनजर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों, जिनके खिलाफ कोई डीई/पीई/आपराधिक मामला/सतर्कता जांच आदि लंबित है, से संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने तक लंबित रखा जाएगा और उन मामलों पर अंतिम फैसला होने के पश्चात ही उनके संबंध में उपयुक्तता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

27.12 **<u>प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम</u>** : इस पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को छ: (05+01) महीने की अवधि के लिए या समय-समय पर पुलिस आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार दिल्ली के प्रशिक्षण केंद्र में आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करना होगा और प्रशिक्षण स्थायी आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस अकादमी से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना होगा। ।

**नोट:**

(i) दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों को आउटडोर प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। तथापि, प्रशिक्षण स्थायी आदेश के अनुसार उन्हें इस पद के लिए इनडोर प्रशिक्षण करना होगा।

(ii) दिल्ली पुलिस अकादमी में शिक्षा का माध्यम हिंदी होगा।

**28. <u>परीक्षा में प्रवेश</u>:**

28.1 सभी अभ्यर्थी, जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं तथा जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई निबंधन और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा। तदनंतर, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा।

28.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है

कि वे उक्त पदों के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय उनसे समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। संवीक्षा करते समय यदि आवेदन में किया गया दावा सही नहीं पाया जाता है तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

28.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र आयोग के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) का अवलोकन करते रहें।

28.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग 10 दिन पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

28.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

28.6 प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट पर परीक्षा से लगभग **2-3 दिन** पहले उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।**

28.7 जिन अभ्यर्थियों ने **आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है**, उन्हें परीक्षा शुरू होने से **दो (02) घंटे** पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही के रंगीन फोटो और मूल वैध फोटो पहचान पत्र, जिस पर प्रवेश प्रमाण पत्र पर छपी जन्मतिथि अंकित हो, लाना अनिवार्य है, **ऐसा न करने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी**, जैसे: -

28.7.1 मतदाता पहचान-पत्र,
28.7.2 ड्राइविंग लाइसेंस,
28.7.3 पैन कार्ड,
28.7.4 पासपोर्ट,
28.7.5 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र

28.7.6 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)

28.7.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका

28.7.8 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र

28.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

28.9 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

28.10 धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर साफ़ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो, और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। निर्देशों के अनुसार न ली गई तस्वीरों वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर ली गई हो, अस्वीकार कर दिए जाएँगे। हालाँकि, उपरोक्त कारणों से ऑनलाइन आवेदन पत्र की अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।

**29. <u>दस्तावेज सत्यापन (डीवी):</u>**

29.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जो शा.क्ष. और मा.प. (अर्थात दौड़, लंबी / ऊंची कूद औरशारीरिक माप) के सभी आयोजनों में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें यथा उल्लिखित **पैरा 29.3** के अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा ।

29.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान यथाउल्लिखित **पैरा 28.7** में सूचीबद्ध अनुसार दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचानपत्र साक्ष्य लाना होगा ।

29.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

29.3.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र।

29.3.2 आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।

29.3.3 यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष शैक्षिक योग्यता को समकक्ष शैक्षिक योग्यता होने का दावा करता है तो शैक्षिक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश / पत्र जिसमें उस प्राधिकारी का अंकन (संख्या और दिनांक सहित) हो जिसके तहत उसे ऐसा माना गया है।

29.3.4 जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है।

29.3.5 दिव्यांग व्यक्ति प्रमाण-पत्र।

29.3.6 यदि लागू हो तो पहाड़ी क्षेत्र से संबधित प्रमाणपत्र **(अनुबंध-ज)**।

29.3.7 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भूपूसै) के लिए:

29.3.8 **अनुबंध-झ** के अनुसार सेवारत रक्षा कर्मी का प्रमाणपत्र / अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

29.3.9 **अनुबंध- ञ** के अनुसार वचनपत्र ।

29.3.10 कार्यमुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र, यदि सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किया गया है।

29.3.11 प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि आयु में छूट की मांग करता है।

29.3.12 दिल्ली पुलिस कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रितों को जारी किया गया आश्रित प्रमाण पत्र **(अनुबंध-छ)**, यदि लागू हो ।

29.3.13 आरआरयू प्रमाण पत्र।

29.3.14 यदि लागू हो तो, खेल प्रमाणपत्र ।

29.3.15 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के संबंधी प्रमाण पत्र (**अनुबंध-ट**), यदि लागू हो।

29.3.16 सरकार / सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

29.3.17 यदि लागू हो, एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी।

29.3.18 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

29.3.19 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

29.3.20 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

29.3.21 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;

29.3.22 "विधवा/ तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पतियों से अलग महिलाओं के तहत उपलब्ध छूट का प्रमाण।

29.3.23 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

29.3.24 पीईएंडएमटी/दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

## 30. चयन का तरीकाः

30.1 भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सी.बी.ई), शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई&एमटी), कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा और कंप्यूटर (फोर्मेटिंग) परीक्षा, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

30.2 उन सभी अभ्यर्थियों को जिनका ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाया जाएगा, उन्हे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का संचालन सिर्फ कंप्यूटर आधारित प्रणाली में करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

30.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा **केवल अंग्रेजी और हिंदी** में आयोजित की जाएगी जाएगी।

30.4 पीई&एमटी अर्हक प्रकृति के होंगे ।

30.5 बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों सहित पीई&एमटी के सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों का संग्रह और उनका मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन) का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा पीई&एमटी के समय किया जाएगा।

30.6 परीक्षा के सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

30.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार, पद में, अनारक्षित रिक्तियों के लिए या उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए, जो भी उनके लिए लाभदायक हो,

समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूतपूर्व सैनिक और बे.दि. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

30.8 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूतपूर्व सैनिक और बे.दि. श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को, जो उनकी अर्हता स्थिति पर ध्यान दिए बिना आयु सीमा, लंबाई एवं छाती की माप, अनुभव या योग्यता, अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचार के विस्तारित क्षेत्र (एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन) जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने से ज्यादा होती है, जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की गिनती आरक्षित रिक्तियों के लिए की जाएगी न कि अनारक्षित रिक्तियों में। जहां तक भूतपूर्व सैनिक के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिक के आयु से सैनिक सेवा कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट माना जाता है। इसी प्रकार बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को, छूट दिए गए मानक के रूप में नहीं माना जाएगा ।

30.9 कोई दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी अर्हता के आधार पर चयनित हुआ हो, उसे अनारक्षित रिक्ति के लिए नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद प्रासंगिक श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

30.10 परीक्षा में सफलता से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि वह अभ्यर्थी सेवा/पद की नियुक्ति के लिए सभी पक्षों से उपयुक्त है।

30.11 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनंतिम होगा। यदि, सत्यापन के समय, परीक्षा से पहले अथवा बाद में, किसी भी समय, यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

30.12 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषित होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता, तो उसके बाद उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

30.13 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता सबंधी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। यदि, सत्यापन के दौरान, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा और

कंप्यूटर (फोर्मेटिंग) परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई&एमटी), चिकित्सा परीक्षा से पहले या बाद में, किसी भी समय, और साथ ही सेवा में नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात, यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते तो हैं, तो दिल्ली पुलिस/आयोग द्वारा उनकी अभ्यर्थिता/चयन को रद्द कर दिया जाएगा।

30.14 सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामलों में, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/ जांच लंबित/ न्यायालय में ट्रायल लंबित है, दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-एचआरडी/12/2025 तथा समय-समय पर संशोधित प्रावधानों को देखते हुए कानून के तहत विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामलों को, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ प्राथमिक जांच/ आपराधिक मामला/ सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों के समाप्त होने तक दिल्ली पुलिस द्वारा लंबित रखा जाएगा और उनके मामलों पर समाप्त होने के बाद मेरिट के आधार पर निर्णय दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा।

30.15 कौशल परीक्षा केवल दिल्ली में आयोजित की जाएगी ।

## 31. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाईः

31.1 परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग परीक्षा के पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर, आयोग की नीति के अनुसार, कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है।

31.2 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा :-

| क्रम सं. | कदाचार का प्रकार | वारित अवधि |
|---|---|---|
| 1 | परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति आदि बाहर ले जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना। | 01-02 वर्ष |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व परीक्षा स्थल से बाहर जाना । | 01 वर्ष |
| 3 | परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना। | 02-03 वर्ष |
| 4 | परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना | 03 वर्ष |
| 5 | जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना। | 01-03 वर्ष |
| 6 | अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना। | 03 वर्ष |
| 7 | परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना | 03-05 वर्ष |
| 8 | नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना या परीक्षा देना। | 02-05 वर्ष |
| 9 | कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो। | 03 वर्ष |
| 10 | परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। | 01-03 वर्ष |
| 11 | जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र आदि के साथ परीक्षा में बेठन या परीक्षा देना। | 03-05 वर्ष |
| 12 | परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना। | 07 वर्ष |
| 13 | परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना। | 07 वर्ष |
| 14 | छद्मवेषन/ किसी अन्य व्यक्ति से छद्म-रूप में कार्यसाधन कराना। | 07 वर्ष |
| 15 | स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना। | 07 वर्ष |
| 16 | रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना। | 07 वर्ष |
| 17 | परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना। | 07 वर्ष |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | वह अभ्यर्थी जो एक ही फोटो और विभिन्न वैयक्तिक विवरणों जैसे नाम, माता / पिता का नाम, जन्म तिथि आदि अथवा विलोमत: रूप से विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर रहा है | 01-05 वर्ष |

31.3 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

32. **कर्मचारी चयन आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

33. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

34. **निरर्हता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बशर्ते केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

35. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:**

| | |
|---|---|
| 1. | अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी: दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। |

| | |
|---|---|
| 2. | अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/ लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। |
| 3. | अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए अनुसार ही लिखनी होगी। यदि परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज सत्यापन या किसी अन्य समय, नाम और जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। |
| 4. | वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) सृजित नहीं किया है उन्हें ऐसा करना होगा। क्योंकि आयोग की पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट के लिए कार्य नहीं करेगा । एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के पश्चात, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर हेतु विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-I** में दिए गए हैं । |
| 5. | आयोग ने इस परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । तदनुसार, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :<br><br>(i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज<br><br>(ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,<br><br>(iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की |

| | |
|---|---|
| | सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।<br>(iv) फोटो ।<br>(v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।। |
| 6. | दिल्ली पुलिस द्वारा पीई & एमटी / दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय अभ्यर्थियों से दस्तावेज़ एकत्र किए जाएंगे और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम रूप से जमा होने के पश्चात ही अभ्यर्थिता अनंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अनिवार्य अपेक्षित अर्हताओं, आयु, शारीरिक मानक आदि को ध्यान से पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पदों के लिए पात्र हैं। शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी) के समय दस्तावेज़ों की जांच के दौरान, यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई भी दावा सही नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। |
| 7. | इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/ भूपूसै या किसी अन्य छूट हेतु उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित लें कि वे ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। पीई & एमटी /डीवी के दौरान प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए । अन्यथा अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव आदि श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता /ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि अभ्यर्थी ने किसी अन्य आयु-छूट की मांग की है और संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे उसकी संबंधित श्रेणी, अर्थात अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/ अनारक्षित में मानी जाएगी। |
| 8. | जब ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे **'अनंतिम'** रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकार्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। तथापि, 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' का प्रिंट दिल्ली पुलिस/आयोग को जमा करने की जरूरत नहीं है। |
| 9. | इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में, आयोग द्वारा ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया |

| | |
|---|---|
| | जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करता तथा परीक्षा (किसी भी स्तर पर) में एक से अधिक बार बैठता/ बैठती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा। |
| 10 | निर्देशों के अनुसार न होने वाले, अनुपयुक्त फोटोग्राफ या धुंधले/छोटे हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे। |
| 11 | आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है । अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा के बिना हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे । यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जहां उसकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, निरस्त कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी की उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई फोटो अनुसार ही होनी चाहिए ।<br><br>स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-ठ(4/4)** दिए गए हैं। अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:<br><br>1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।<br>2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।<br>3. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।<br>4. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित |

| | |
|---|---|
| | स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।<br><br>**5.** अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**<br><br>**तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे ।** |
| 12 | ऑनलाइन आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध (आयोग द्वारा प्रदान की गई 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार हेतु विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद) एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
| 13 | आयोग, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को दो (02) दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा विज्ञप्ति के **पैरा-13** में दिए गए विवरणानुसार, निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा। |
| 14 | अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दें क्योंकि दिल्ली पुलिस/आयोग द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है । बाद के चरण में मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि अभ्यर्थियों को सूचना भेजने के प्रयास आयोग द्वारा किए जाते हैं, तथापि आयोग एसएमएस/ई-मेल/डाक आदि के माध्यम से भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं/ चरणों/ तिथियों के |

| | |
|---|---|
| | बारे में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर इस एवज में दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी भी प्रक्रिया के बारे में ई-मेल/एसएमएस आदि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग/ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। |
| 15 | सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है । संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने **या** 'ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र सुधार हेतु विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा । |
| 16 | परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का छद्मरूप धारण करने का प्रयास करने वाले लोगों के उदाहरण देखे गए हैं । चूँकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय तस्वीर लाइव खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर से अलग कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। **परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार हो।** किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए। **ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें खींची गई हों, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।** |
| 17 | जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा के निर्धारित समय से दो (02) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे:<br><br>i. ड्राइविंग लाइसेंस,<br>ii. पैन कार्ड,<br>iii. पासपोर्ट, |

| | |
|---|---|
| | iv. विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र<br>v. नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)<br>vi. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका<br>vii. केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र<br><br>यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
| 18 | किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी । |
| 19 | यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए। |
| 20 | यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसे दिल्ली पुलिस से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल दिल्ली पुलिस से संपर्क करना चाहिए । |
| 21 | देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है । |
| 22 | अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसलिए वे चयन प्रक्रिया में शारीरिक/मानसिक तौर पर पूर्णतः तैयार होकर भाग लें और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/ दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर |

| | |
|---|---|
| | भर्ती में भाग लेंगे। |
| 23 | यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने सिर पर चोट (उभार/ फूलना) लगा लेता है अथवा अम्लिका (टेमारिन्ड) रख लेता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया जाएगा। |
| 24 | पीई & एमटी के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी ओजस्वी दवा के सेवन से प्रभावित पाया जाता है तो उसे भर्ती के आगे की प्रक्रिया हेतु बाहर कर दिया जाएगा। |
| 25 | शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए हर केंद्र पर अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/ या सहमत नहीं होता है तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित भर्ती केंद्र पर उसी दिन अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता/ सकती हैं। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद आगे किसी भी अपील या प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती हैं। |
| 26 | परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग विस्तृत परीक्षा के पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर, आयोग की नीति के अनुसार, कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है। |
| 27 | **<u>पूछताछ कक्ष</u>**<br><br>किसी भी पूछताछ के लिए, अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस भर्ती कक्ष सहायता डेस्क, भर्ती कक्ष, न्यू पुलिस लाईन, किंगसवे कैंप, दिल्ली-110009 पर और निम्न दूरभाष नंबरों पर रविवार और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 09.30 से शाम 06.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं:- 011-27412715, 011-27241205, 011-27241206 |

अवर सचिव

कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

29.09.2025

**अनुबंध-I**

**(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)**

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

(क) एक बारगी पंजीकरण

(ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

**भाग-क (एक बारगी पंजीकरण)**

1. कृपया ऑनलाइन 'एक-बारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'ऑनलाइन आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार पर आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा । वे अभ्यर्थी जो आधार पर आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे ।

4. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज तैयार रखें:

    क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
    ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

ग. आधार कार्ड संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज़ को उपलब्ध कराना होगा):

i. वोटर आईडी कार्ड
ii. पैन
iii. पासपोर्ट
iv. ड्राइविंग लाइसेंस
v. स्कूल/कॉलेज आई डी
vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ. परीक्षा बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

ङ. यदि आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या।

5. एक बारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाइट अर्थात http://ssc.gov.in पर दिए गए खंड 'Login or Register' में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

6. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. व्यक्तिगत विवरण
ख. पासवर्ड बनाना
ग. अतिरिक्त विवरण
घ. घोषणा ।

**7. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :**

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (कॉलम) मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें । यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,

(iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश ।

(iv) फोटो।

(v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।

ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरूष/महिला)।

च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या-8 से क्रम संख्या-10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर । यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी । यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि

कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी । यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत संख्या को यूज़र नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

**<u>पासवर्ड बनाना</u>**

त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'मूलभूत विवरण' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

**<u>अतिरिक्त विवरण</u>**

ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

प. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

ब. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें । आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

भ. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

म. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

य. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रीव्यू का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

र. 'Declaration' को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

ल. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

व. मूलभूत सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

8. आप अपने एक बारगी पंजीकरण के डाटा को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते; आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है ।

9. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

**<u>अनुबंध-Iक (1/8)</u>**

## एकबारगी पंजीकरण प्रपत्र के स्क्रीनशॉट्स

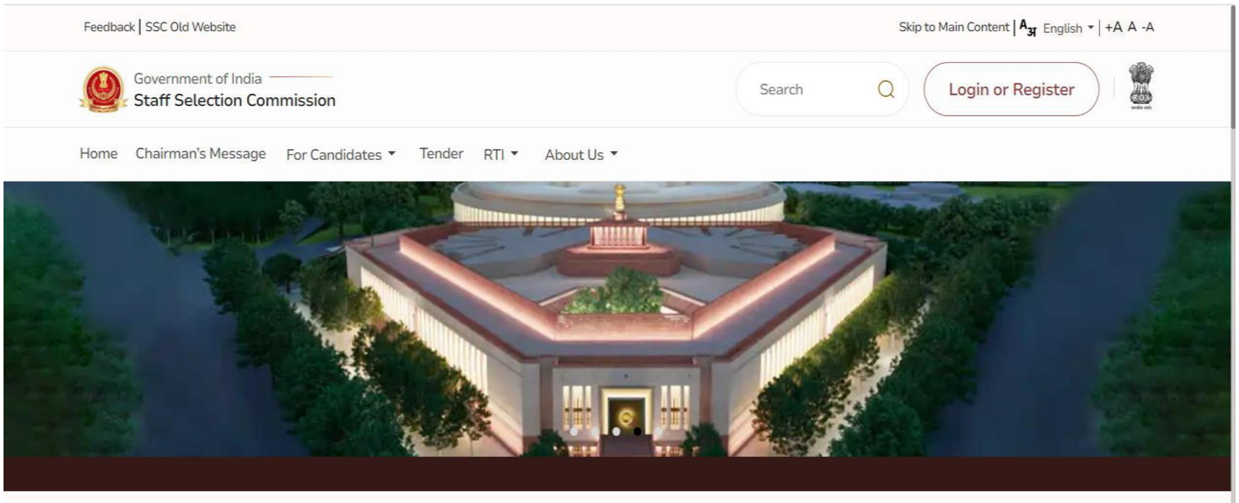


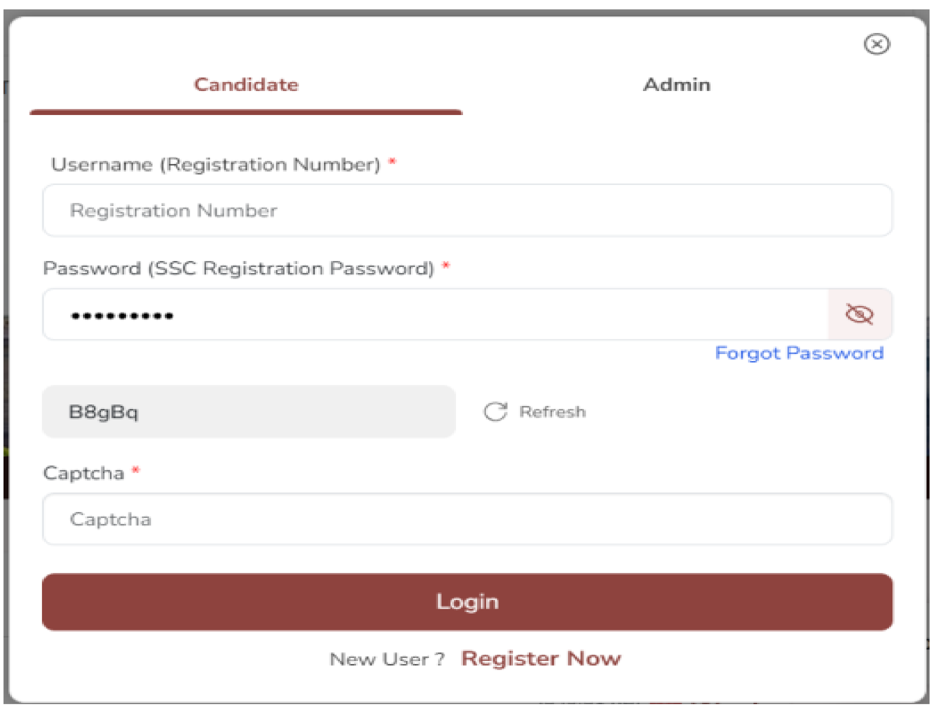

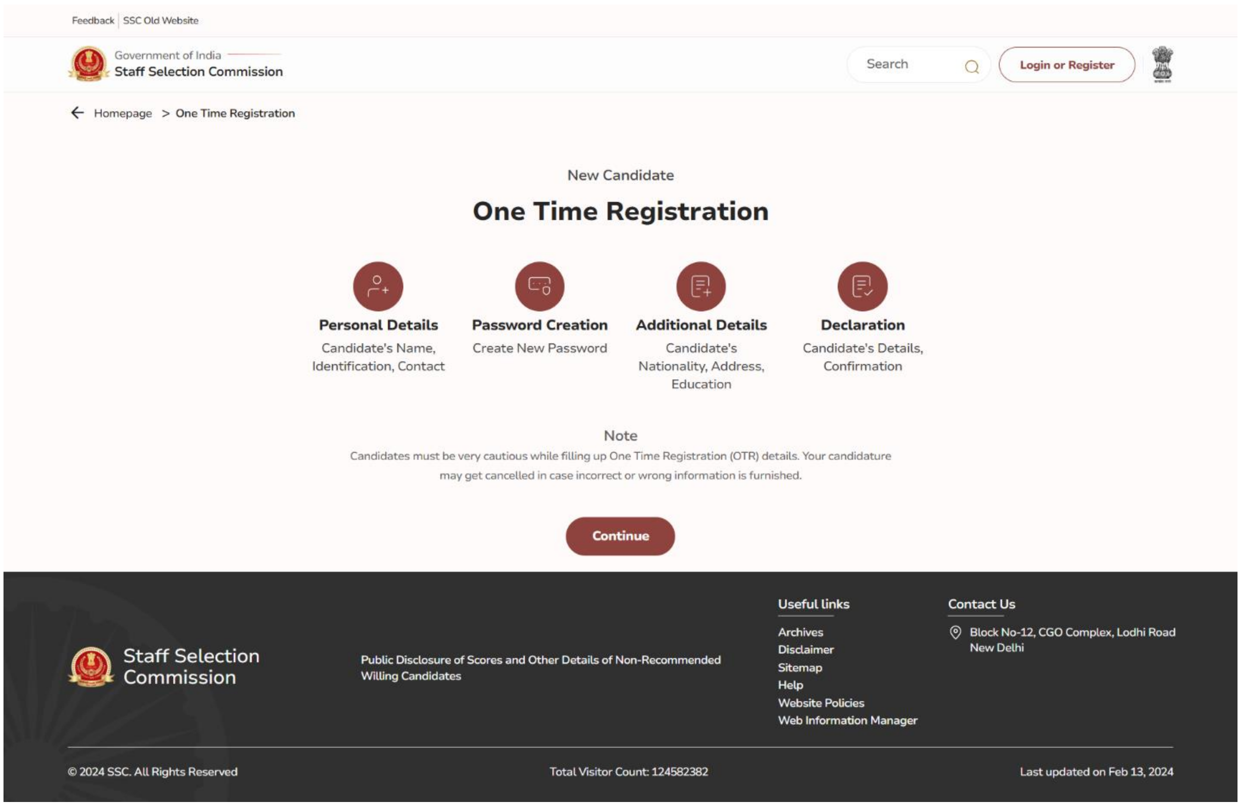
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Homepage > One Time Registration
New Candidate
One Time Registration
Personal Details
Candidate's Name, Identification, Contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's Nationality, Address, Education
Declaration
Candidate's Details, Confirmation
Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

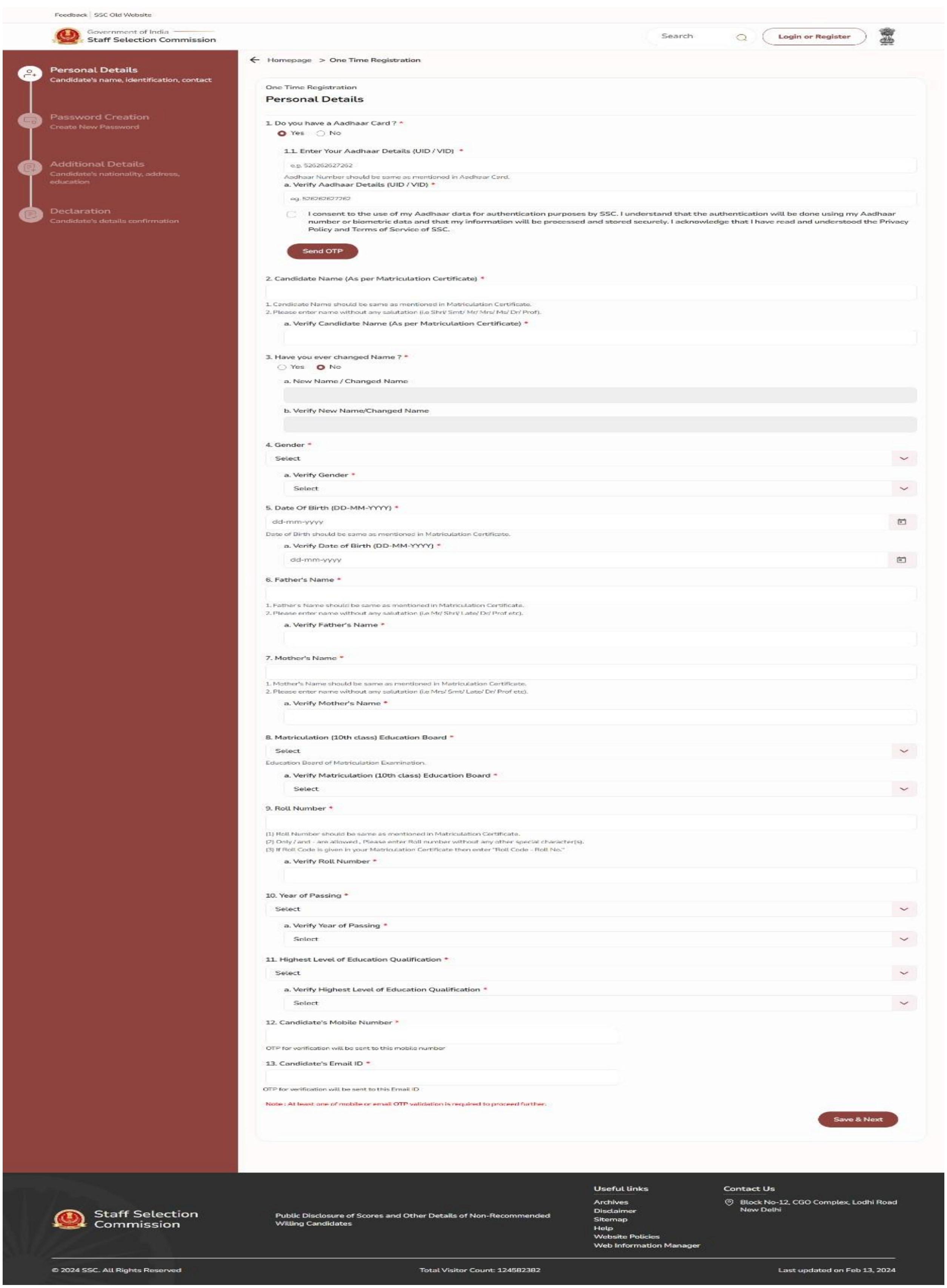
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *
e.g. 526262627262
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.
a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *
eg. 526262627262

I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No
a. New Name / Changed Name
b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select
a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *
(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select
a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select
a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *
OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *
OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

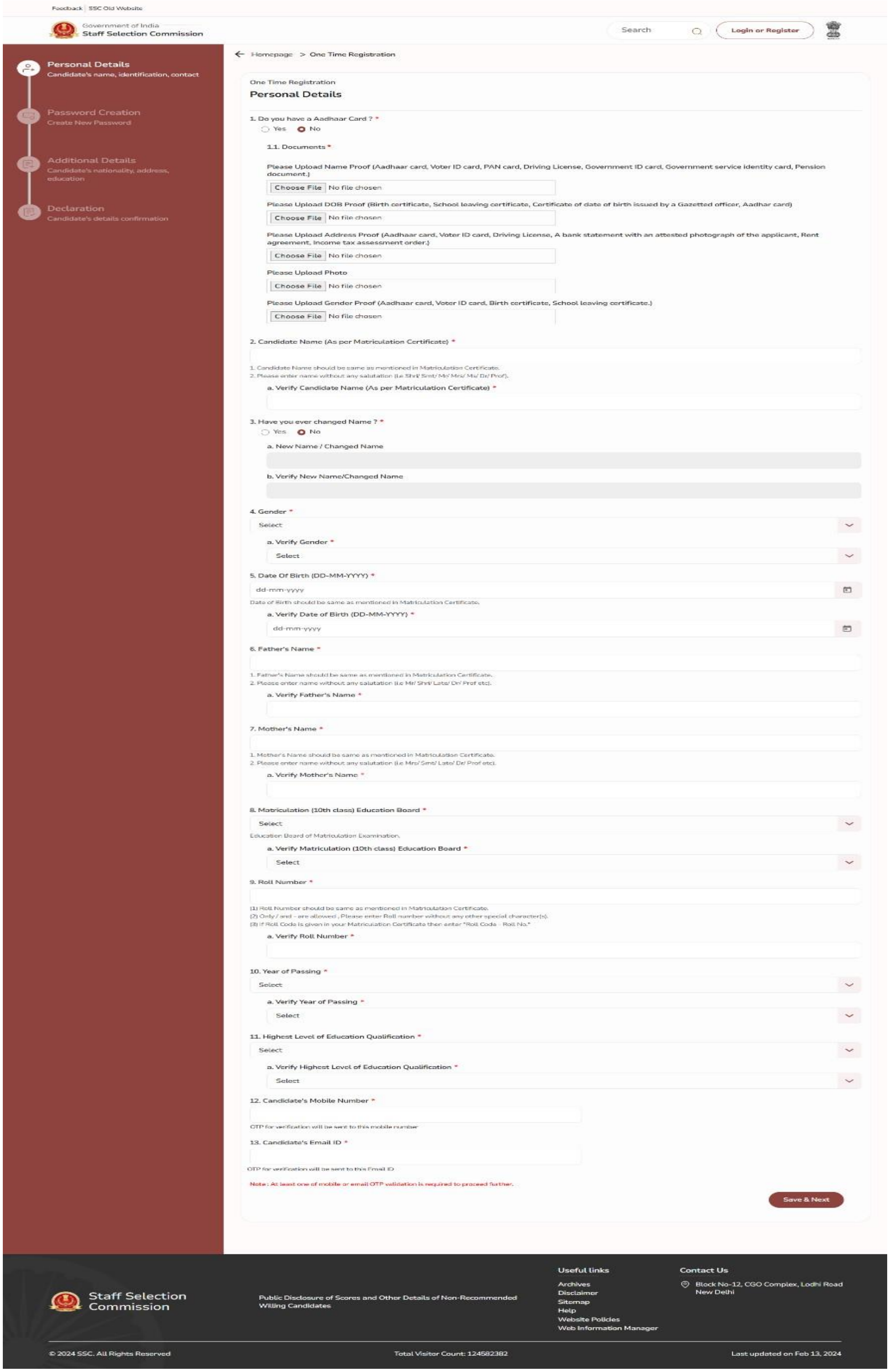
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search
Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

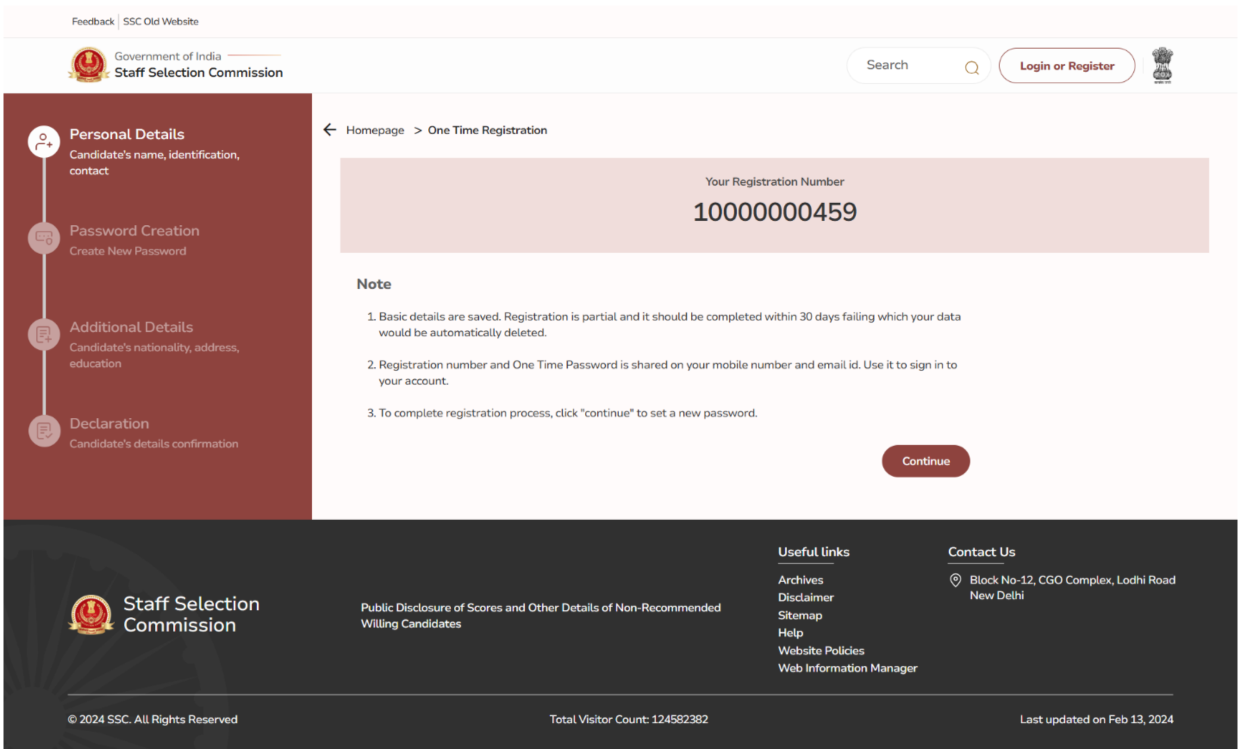
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

**Personal Details**
Candidate's name, identification, contact

**Password Creation**
Create New Password

**Additional Details**
Candidate's nationality, address, education

**Declaration**
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

## Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

## Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

**Useful links**

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

**Contact Us**

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

**Personal Details**
Candidate's name, identification, contact

**Password Creation**
Create New Password

**Additional Details**
Candidate's nationality, address, education

**Declaration**
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

## Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
Yes No

a. Type of Disability

**Note**
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
Yes No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

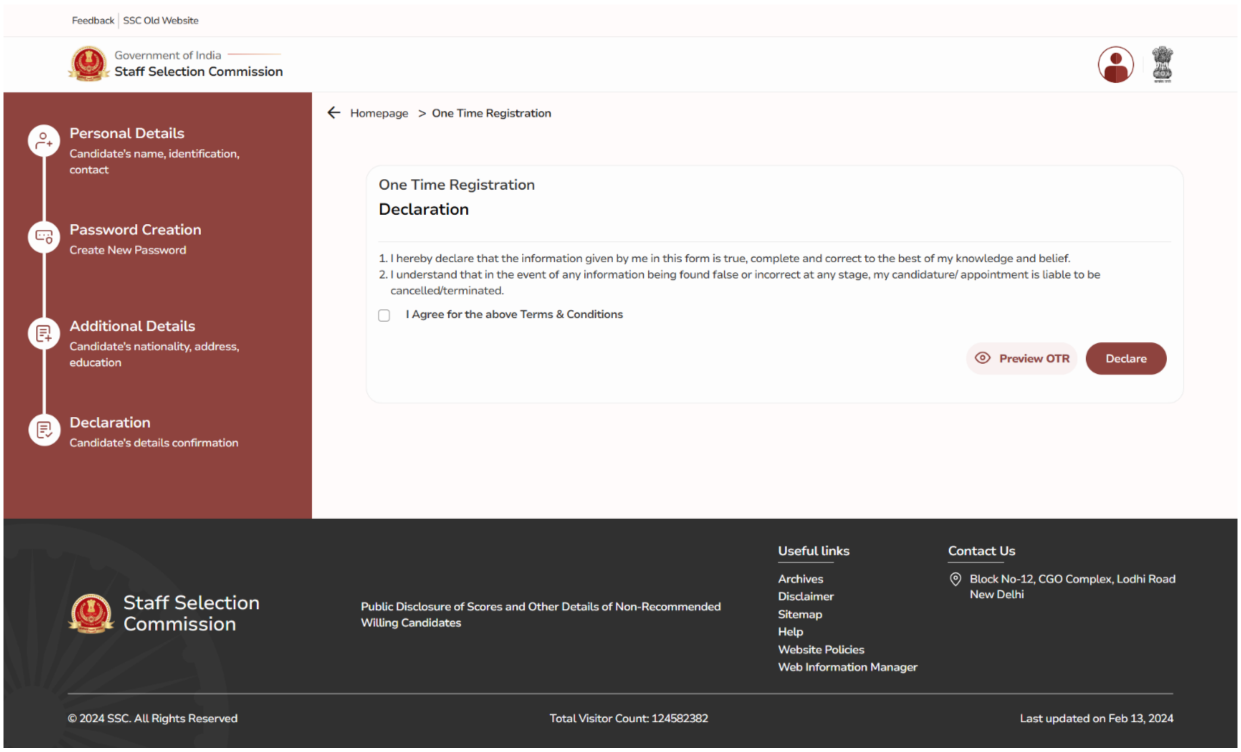
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree for the above Terms & Conditions

Preview OTR | Declare

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

## भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित सामग्री/विवरण/डाटा तैयार रखें:

**(क)** एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए हो और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-ठ (4/4)** में दिए गए हैं । यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह पुनः फोटो खींचे। स्वीकृत नमूने के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले आवेदन निरस्त किए जा सकते। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

*(i). अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।*

*(ii). फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।*

*(iii). अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।*

*(iv). यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।*

*(v). अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।*

जो अभ्यर्थी कैमरे के माध्यम से अपनी फोटो खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाईल डिवाइस के माध्यम से फोटो खींचने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल फोन हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकैशन को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं.1 में दिए गए क्यूआर(QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। जिन ऑनलाइन आवेदन पत्रों में फोटो स्वीकृत नमूने **[अनुबंध-ठ(4/4)]** के अनुरूप नहीं होंगी, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **[अनुबंध-ठ(4/4)]** में दिए गए हैं ।

**(ख)** जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी) । हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले /अपठनीय हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे ।

**तथापि, आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।**

2. अपनी '**पंजीकरण संख्या'** और 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'लाइव परीक्षा' टैब के अंतर्गत खंड 'Head Constable (Ministerial) in Delhi Police Examination-2025' में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।
4. क्रम सं. 1 से 18 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है।
5. क्रम सं. 19: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
6. क्रम सं. 20 से 20.7 : अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण दें (अर्थात, 12वीं पास, 12वीं के समकक्ष, विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र या संबंधित प्रमाणपत्र के साथ मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक और सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से कम की सेवा नहीं)। निम्नलिखित विवरण भरें: -

   क्रम सं.- 20: अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण
   क्रम सं.- 20.1: शैक्षणिक अर्हता (EQ) की स्थिति
   क्रम सं.- 20.2: उत्तीर्ण होने का वर्ष
   क्रम सं.- 20.3: बोर्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
   क्रम सं.- 20.4: बोर्ड का नाम
   क्रम सं.- 20.5: अनुक्रमांक संख्या
   क्रम सं.- 20.6: प्रतिशत
   क्रम सं.- 20.7: सीजीपीए
7. क्रम संख्या 21: यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंतर्गत किसी जाति से संबंधित है तो 'Yes' का चयन करें । यह छूट केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित जातियों के लिए मान्य है (विज्ञप्ति का **पैरा 8.2** देखें)।
8. क्रम संख्या 22 से 22.4: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक (ESM) हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो बिंदु सं. 22 से 22.4 तक आवश्यक जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई विशेष कोटा नहीं हैं (विज्ञप्ति का **पैरा 7** देखें)।
9. क्रम सं. 23 : यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का **पैरा 5 (नोट 7)** देखें)।
10. क्रम सं. 24 : यदि आप 'विधवा/ तलाकशुदा/ न्यायिक रूप से अलग' महिला हैं तो 'Yes' का चयन करें।

11. क्रम सं. 25 : यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिक/ मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री है तो ‘Yes’ का चयन करें (विज्ञप्ति का **पैरा 6** देखें)।

12. क्रम सं. 26 : यदि आपने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान खेल में, अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथवा किसी राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का **पैरा 5.1 (नोट-6)** देखें)।

13. क्रम सं. 26.1 : यदि ‘हां’ तो अपने खेल का नाम/ प्रकार चुनें (विज्ञप्ति का **अनुबंध-क** देखें)।

14. क्रम सं. 27 से 27.1 : यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट के उपयुक्त श्रेणी का चयन करें(परीक्षा विज्ञप्ति का **पैरा ‘5.1’** देखें)।

15. क्रम सं. 28 : टंकण परीक्षा का माध्यम दर्शाएं (अंग्रेजी/हिंदी) (विज्ञप्ति का **पैरा 9(ii)** देखें)

16. क्रम सं. 29 : परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए, आप वरीयता के क्रम में, तीन परीक्षा केंद्र (देश भर में कहीं भी) चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के **पैरा 14.1** का संदर्भ लें।

17. क्रम सं. 30 से 30.1 : क्या आप एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक हैं? यदि हां, तो एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (परीक्षा विज्ञप्ति के **पैरा 10.1** का संदर्भ लें)।

18. क्रम सं. 31 से 31.1 : क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र है? यदि हां, तो डिग्री/प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (नोटिस के **पैरा 10.2** का संदर्भ लें)।

**<u>फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें (हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश अनुबंध-V में दिए गए हैं):-</u>**

19. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार बिना चश्मे / टोपी के अपना लाइव फोटोग्राफ अपलोड करें:

(क). अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।

(ख). फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।

(ग). अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।

(घ). यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।

(ङ). अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

(च). किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें ली गई हैं, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(छ). फोटो खींचते समय ईयरफोन या कोई भी उपकरण न पहनें।

20. **नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें :-**

क. स्वीकृत छवि आकार: जेपीजी /जेपीईजी प्रारूप में 10 केबी से 20 केबी तक।

ख. छवि का आयाम: लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई)।

ग. धुंधले/लघु हस्ताक्षरों वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होने चाहिए।

ङ. स्वीकृत और अस्वीकृत हस्ताक्षरों के नमूने अनुबंध-V (2/4) में दिए गए हैं।

21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो “I agree” चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

22. अपने द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करें और उसका सत्यापन करें । यदि आप किसी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो ‘Edit/Modify’ बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन करें । जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापित करें और आवेदन जमा करें । ऑनलाईन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के पश्चात आप ऑनलाईन आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।

23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

24. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के **पैरा 12** का संदर्भ लें ।

25. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति ‘आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)’ के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए।।

**अनुबंध-IIक (1/6)**

## ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशॉर्ट्स

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Online Application Form

Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination, 2025

Instructions to follow

- Read the Notice of Examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the Online Application Form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself/ herself. The Online Application Module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the Online Application Form. For this purpose, the candidate has to stand/ sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his/ her signature in JPEG/ JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Online Application Form with blurred/ miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, Master Card, Maestro, or RuPay, Debit Card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form >

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586242

Last updated on Jun 13, 2025

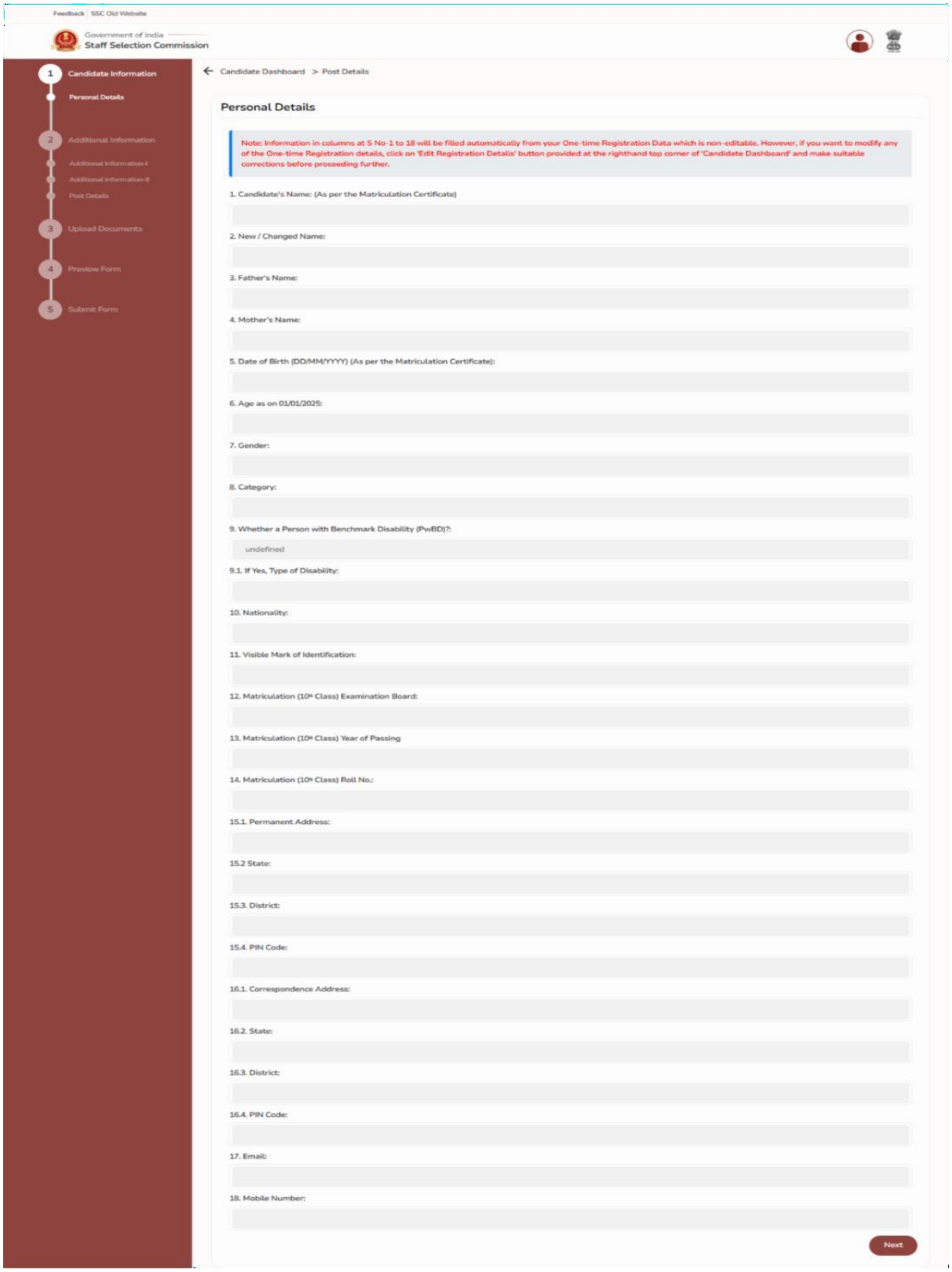

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
Post Details
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Post Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)
2. New / Changed Name:
3. Father's Name:
4. Mother's Name:
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):
6. Age as on 01/01/2025:
7. Gender:
8. Category:
9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:
undefined
9.1. If Yes, Type of Disability:
10. Nationality:
11. Visible Mark of Identification:
12. Matriculation (10th Class) Examination Board:
13. Matriculation (10th Class) Year of Passing
14. Matriculation (10th Class) Roll No.:
15.1. Permanent Address:
15.2 State:
15.3. District:
15.4. PIN Code:
16.1. Correspondence Address:
16.2. State:
16.3. District:
16.4. PIN Code:
17. Email:
18. Mobile Number:

Next

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Education Detail

## Education Details

19. Highest Educational Qualification: *

Select

### Essential Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Select

Please refer to Para 5.11 (ESM) and Para 7 of the Notice of Examination

20.1. EQ Status: *

Select

20.2. Passing Year: *

Select

20.3. State/ UT of Board: *

Select

20.4. Name of Board: *

Select

20.5. Roll Number: *

Enter roll no here...

20.6. Percentage:

Enter percentage here...

20.7. CGPA:

Enter CGPA here...

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

## Additional Information-I

21. Do you possess OBC Category certificate notified in the Central list or by the Govt. of NCT of Delhi? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.2
◉ Yes ○ No

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *
○ Yes ◉ No

23. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 3.1
◉ Yes ○ No

24. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.5
◉ Yes ○ No

Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police:
◉ Yes ○ No

25. Whether a widow/ divorced/ judicially separated woman? *
○ Yes ○ No

26. Whether son/ daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi Tasking Staff of Delhi Police? *
◉ Yes ○ No

27. Have you represented a State at the National level or the country at the international level in sports during the preceding 3 years from the closing date of receipt of Online Application Form? *
◉ Yes ○ No

27.1. Please select the discipline of your sport: *
Archery

28. Whether seeking Age Relaxation? *
◉ Yes ○ No

*Note: In case no age relaxation is applicable, please select 'No'.*

28.1. If Yes, Age Relaxation Code: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.1

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

**Useful links**
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

**Contact Us**
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586264

Last updated on Jun 13, 2025

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

## Additional Information-II

29. Preference of Examination Centres: *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11.1

Preference 1:
Select

Preference 2:
Select

Preference 3:
Select

30. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 10.1
◉ Yes ○ No

Verify whether you are a NCC Certificate holder:
◉ Yes ○ No

30.1. Type of the NCC Certificate *
Select

Confirm Type of NCC Certificate:
Select

31. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by the Rashtriya Raksha University (RRU)? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.8
◉ Yes ○ No

31.1. Indicate the name of the class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *
Select

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

**Useful links**
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

**Contact Us**
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586264

Last updated on Jun 13, 2025

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

## Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below QR code

2. Capture Your Photograph

**Instructions:**

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

**Instructions:**

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.** **Click here to read**
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

**Useful links**
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

**Contact Us**
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

## खेल/खेलों की सूची

1. तीरंदाजी
2. एथलेटिक्स
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाज़ी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी (सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी)
14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्रियाथलोन
21. वोलीबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

**अनुबंध -'ख'**

## प्रपत्र 1

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

| |
|---|
| पासपोर्ट आकार का फोटो जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सहित |

**---------------राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ**

**(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)**

**केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी---------------------------------- पुत्र/पत्नी/पुत्री---------------------------------- श्री-------------------------------, जन्मतिथि------------------------------निवासी------------------------------------------ (पूर्ण पता)---------------------------------- प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के------------------------------------- में दिनांक-------------------से ----------------------------------तक आयोजित------------------------------खेल/प्रतियोगिता में ---------------------------------- भारत देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा------------------------ स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र--------------------------- राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान----------------------

दिनांक---------------------

नाम----------------------------------

हस्ताक्षर------------------------------

पदनाम-----------------------------

राज्य संघ/परिसंघ का नाम--------------

पता---------------------

**टिप्पणीः** यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

**अनुबंध -'ग'**

**प्रपत्र 2**

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

| |
|---|
| पासपोर्ट आकार का फोटो जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सहित |

**----------------राज्य संघ**

**----------------खेल**

(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

**केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी---------------------------------- पुत्र/पत्नी/पुत्री--------------------------------- श्री--------------------------------, जन्मतिथि------------------------------निवासी-------------------------------------------- (पूर्ण पता)---------------------------------- प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के------------------------------------ में दिनांक--------------------से ------------------------------------तक आयोजित------------------------------खेल/प्रतियोगिता में ----------------------------------- राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा------------------------- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र---------------------------- राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----------------------

दिनांक----------------------

हस्ताक्षर-------------------------------

नाम-----------------------------------

पदनाम------------------------------

राज्य संघ/परिसंघ का नाम---------------

पता---------------------

मुहर-----------------------------

**टिप्पणीः** यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

**<u>अनुबंध -'घ'</u>**

## <u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

**(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*_______________ पुत्र/पुत्री_____________________ निवासी ग्राम/कस्बा* _______________ जिला/संभाग* ______________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ___________ के __________________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@27
संविधान(अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _________ केपिता/माताश्री/श्रीमती _________ निवासी _________ग्राम/कस्बा* _________ जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातिप्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _________ जाति/जनजाति से संबंधित हैंजो _________ दिनांक _________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र मेंअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*_________जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _________ में रहता है ।

हस्ताक्षर _________
**पदनाम_________
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान______
दिनांक_______

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

**<u>टिप्पणीः-</u>**

यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**<u>टिप्पणी</u>**:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

**अनुबंध-'ड़' (1/2)**

**(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ________________________________

पुत्र/ पुत्री, श्री ____________________________ ग्राम/कस्बा ____________________ जिला/संभाग____________________ राज्य___________________ समुदाय___________________ से संबंधित हैं जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

(i) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 186 दिनांक 13 सितंबर,1993 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/68/93-बीसीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर,1993 ।

(ii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 163 दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19.10.1994 ।

(iii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 88 दिनांक 25 मई,1995 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई,1995 ।

(iv) संकल्प सं 12011/96/94-बीसीसी, दिनांक 9 मार्च,1996 ।

(v) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 210 दिनांक 11 दिसंबर,1996 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर,1996 ।

(vi) संकल्प सं 12011/13/97/-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर,1997 ।

(vii) संकल्प सं 12011/99/94 -बीसीसी, दिनांक 11 दिसंबर, 1997 ।

(viii) संकल्प सं 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27 अक्तूबर,1999 ।

(ix) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 270 दिनांक 6 दिसंबर,1999 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर,1999 ।

(x) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 71 दिनांक 4 अप्रैल,2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल,2000।

(xi) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 210 दिनांक 21.09.2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 21.09.2000 ।

(xii) संकल्प सं 12015/19/2000-बीसीसी, दिनांक 06.09.2001 ।

(i) संकल्प सं 12011/1/2001-बीसीसी, दिनांक 19.06.2003 ।

(ii) संकल्प सं 12011/4/2002-बीसीसी, दिनांक 13.01.2004 ।

(iii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I,सं 210 दिनांक 16.01.2006 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/2004-बीसीसी, दिनांक 16.01.2006 ।

श्री/श्रीमती/कु0________________________________ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः____________________________________राज्य के ___________________________ जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93 स्था.-(एससीटी), दिनांक 08.09.1993 तथा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004 स्था.(आरक्षण ) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांकः

जिला अधिकारी/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी

मुहर

**टिप्पणी** (क):- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950की धारा 20 में दिया है।

(ख)जाति प्रमाणपत्र जारी करने सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम की रैंक का न हो)/तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभयर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र**

## घोषणा

मैं,______________________________पुत्र/पुत्रीश्री_____________________________________________ निवासी__________________________________गावं/कस्बा/शहर__________________जिला_________ राज्य__________एतद द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं______________समुदाय (अपनी उप जाति इंगित करें)___________से संबन्धित हूं जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालयज्ञापन सं.36012/22/93 स्था.-(एससीटी) में सम्मिलित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन एवं दिनांक 09.03.2004 के अनुवर्ती कार्यालय ज्ञापनसं.36033/3/2004 स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

स्थान: अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक: अभ्यर्थी का नाम

**<u>अनुबंध- 'च'</u>**

**............. सरकार**

**(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)**

**आर्थिक रूप से पिछ़डे वर्गों द्‌वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र**

**प्रमाण-पत्र संख्या______________** **दिनांक ____________________**

**वर्ष .................. लिए मान्य**

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ________________स्थायी निवासी ______________________गाँव/गली _______________ डाकघर ______________________ जिला ______________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ______________________ पिन कोड ____________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष ................... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ___________________________ का संबंध ________________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

| |
|---|
| अभ्यर्थी के हाल ही का<br>पासपोर्ट आकार का<br>अनुप्रमाणित फोटोग्राफ |

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर..................................

नाम .....................................

पदनाम...................................

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु केभाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

**<u>अनुबंध–'छ'</u>**

**<u>अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक के आश्रित होने का प्रमाण-पत्र.</u>**

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/ श्रीमती______________________(पुलिस कार्मिक का नाम) रैंक____________ रैंज/ कोंस्टेबुलरी संख्या / पीआईएस संख्या.____________जिला/ इकाई में/से दिनांक को / से सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ ______________से __________हैं। उनका/ उनकी पुत्र/ अविवाहित पुत्री _________________________(नाम) दिल्ली पुलिस प्रधान सिपाही (लिपिकीय) भर्ती में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहता/ चाहती हैं।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:--------------

**<u>अनुबंध-'ज'</u>**

**<u>लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>**

प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

______________________पुत्र/ पुत्री/ पत्नी____________श्री_____________________,गाँव_____________,तहसील/तालुका____________ __जिला_________राज्य_____________के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

* वह गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा श्रेणी से संबंध रखता/ रखती है और अभ्यर्थी असम , हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का/की हैं।

*वह उत्तर पूर्व के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा और अभ्यर्थी गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का/की हैं जिसमे दार्जिलिंग जिला के तीन उप-खंड दार्जिलिंग, कलिमपोंग, और क्यूर्सोंग मिला हुआ है और इन जिलों के निम्नलिखित ""मौज़ा" उप-खंड शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान, (2) लोहागढ़ जंगल, (3) रंगमोहन, (4) बाराचेङ्गा, (5) पानिघाता, (6) छोटा अदलपुर, (7) पहरू, (8) सुकना जंगल, (9) सुकना भाग-I, (10) पंटापटी जंगल-I, (11) महानदी जंगल, (12) चंपासरी जंगल, (13) सालबरी छट भाग-II, (14) सिटोंग जंगल, (15) सिवोक पहाड़ी जगल, (16) सिवोक जंगल, (17) छोटा चेंगा, (18) निपनिया।

*वह अनुसूचित जनजाति के/की हैं।

हस्ताक्षर

<u>जिला मजिस्ट्रेट/मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार</u>

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

**अनुबंध-'झ'**

## सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)______________ (रैंक)________________ (नाम)__________________________ (दिनांक)______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः ( कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

**अनुबंध-'ञ'**

**भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र**

मैं .........................................................., अनुक्रमांक .............................…………………………………परीक्षा, 20….. के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ, एतदद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है;अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है।मैंने दिनांक .........................को ...... . .................. ………….. कार्यालय में ………………………………पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतदद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक .........................को ...... . .................. ………….. कार्यालय में ……………………………पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का पात्र नहीं हूँ;

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी ।

हस्ताक्षर: .....................
नाम: ...............
अनुक्रमांक: ………………..
दिनांक: ...............
सशस्त्र बल में नियुक्ति की तिथि: ...............
कार्यमुक्ति की तिथि: ...............
अंतिम इकाई / कोर: ...............
मोबाइल नंबर: ...............
ईमेल आईडी:…………………

**<u>अनुबंध-'ट'</u>**

## <u>अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती____________________(दिल्ली पुलिस कार्मिक का नाम),रैंक__________ रेंज/ कोंस्तेबूलरी/ बेल्ट संख्या.________और पीआईएस संख्या._____________दिल्ली पुलिस में दिनांक._______को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में____________दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस प्रधान सिपाही (लिपिक) पुरुष/ महिला भर्ती कि परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि उन्होंने दिनांक_______को परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी की है और उनकी सेवा के दौरान उन्हें..........बड़ी शास्ति और .........छोटी शास्ति दी गई हैं। वर्तमान में रिकार्ड के अनुसार इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं हैं (अगर हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें)।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:--------------

टिप्पणी:- 'विभागीय अभ्यर्थी' से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जिसने **<u>ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को</u>** दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो और जो सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताओं को पूरा करता हो ।

## Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are "miniature" signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

# Signature

1. Good For Approval

2. Rejected

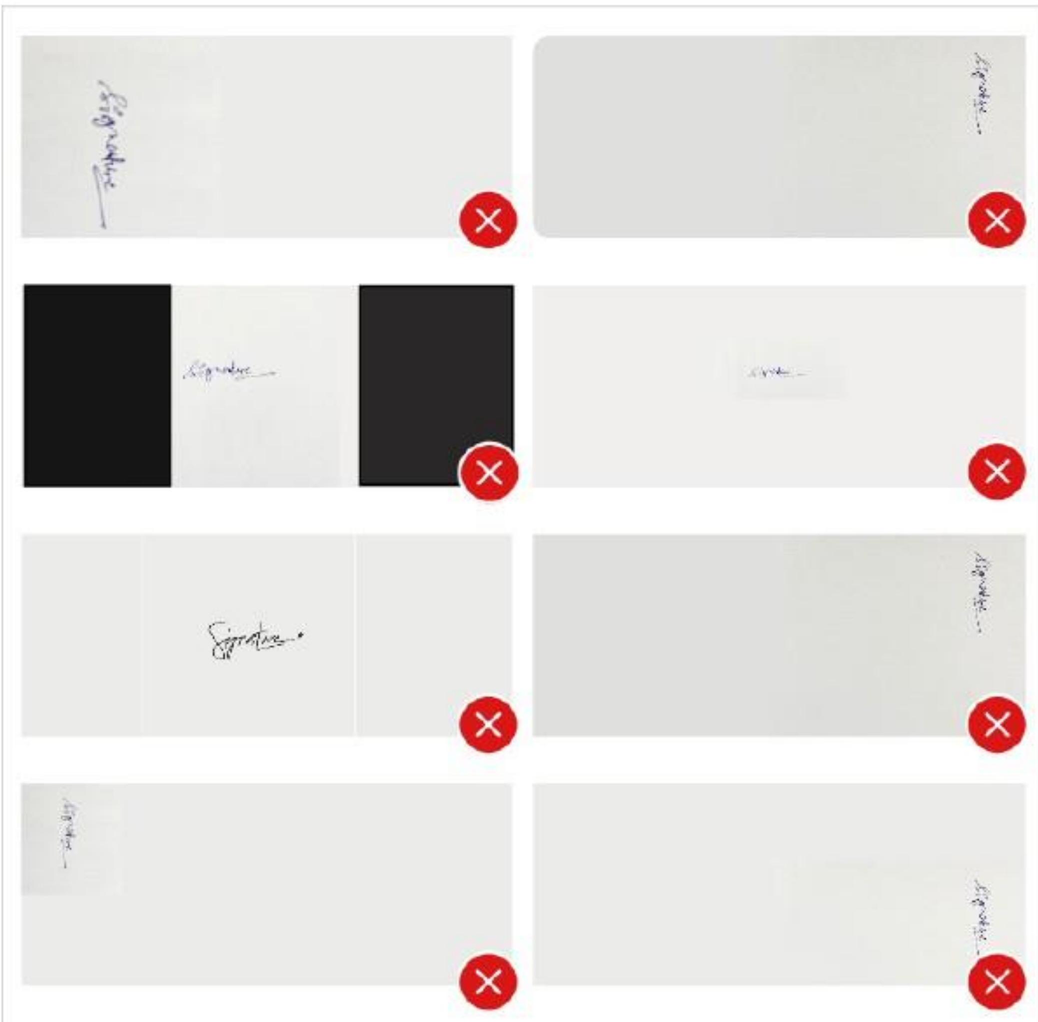

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

**अनुबंध-ठ (4/4)**

# Photograph

## 1. Good For Approval

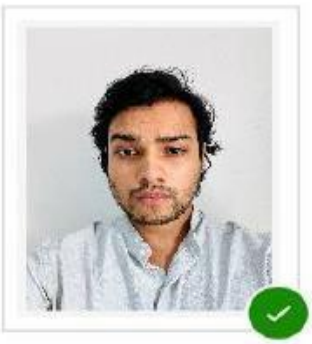

## 2. Rejected

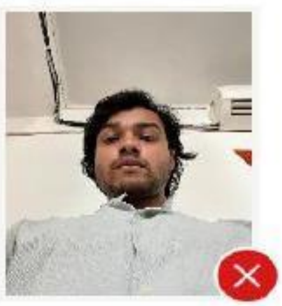

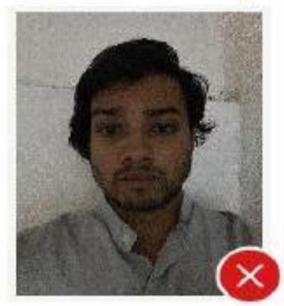

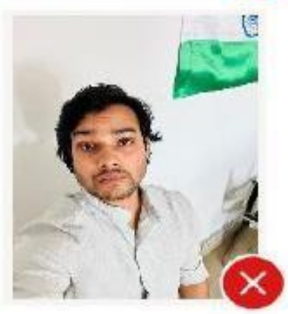

**अनुबंध-'ड'**

## आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

| **शैक्षिक योग्यता** | **कोड** |
|---|---|
| मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण | **01** |
| इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक/10+2 | **02** |
| प्रमाणपत्र | **03** |
| डिप्लोमा | **04** |
| बी.ए. | **05** |
| बी.ए.( आनर्स) | **06** |
| बी. कॉम | **07** |
| बी. कॉम (आनर्स) | **08** |
| बी.एससी. | **09** |
| बी.एससी. (आनर्स) | **10** |
| बी.एड. | **11** |
| एल.एल.बी. | **12** |
| बी.ई. | **13** |
| बी.टैक. | **14** |
| ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख) | **15** |
| बी.एस.सी. (इंजी) | **16** |
| बी.सी.ए. | **17** |
| बी.बी.ए. | **18** |
| रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री | **19** |
| पुस्तकालय स्नातक | **20** |
| बी.फार्मा | **21** |
| आई सी डब्ल्यू ए | **22** |
| सी. ए. | **23** |
| पी.जी. डिप्लोमा | **24** |
| एम.ए. | **25** |
| एम.कॉम. | **26** |
| एम.एससी. | **27** |
| एम.एड. | **28** |
| एल.एल.एम | **29** |
| एम. ई. | **30** |
| एम. टैक | **31** |
| एम.एससी. (इंजी.) | **32** |
| एम.सी.ए | **33** |
| एम.बी.ए | **34** |
| अन्य | **35** |

******